

ग्रामदान प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

ग्रामदान-गोष्ठी

१९, २०, २१, २२, २३ अप्रैल १९६६
सर्व सेवा संघ, वाराणसी



सर्व सैवों संघ प्रकाशन

प्रकाशक :

गन्नो, सुर्ज सेवा संघ,
राजधानी,
वाराणसी



संस्करण : दूसरा

प्रतियाँ : ३,०००, नवम्बर, १९६६

कुल प्रतियाँ : १५००

मूल्य : एक रुपया



मुद्रक :

ओमप्रकाश कृष्ण,
शानमण्डल लिमिटेड,
वाराणसी ६६७७-२३

अपनी ओर से

गिछले अप्रैल में याराणसी में जो ग्रामदान-गोष्ठी हुई, उम्में ग्रामदान के कई पहलुओं पर गम्भीर और विस्तृत चर्चाएँ हुईं। गवर्नर महमूम किया कि ग्रामदान जिस आन्ति की बात नहीं है, उसका 'चित्र' जनता के सामने स्पष्ट भाषा में रखना चाहिए, और उस 'चित्र' की भूमिका में ग्रामदान के याद विकास की जो दिशा है उसे भी तय कर लेना चाहिए। ये दोनों घाम गोष्ठी में बहुत कुछ हुए। यों तो ग्रामदान-मूलक आन्ति के नये रूप बराबर निष्पत्ते जा रहे हैं, और उसकी समस्याएँ और गम्भावनाएँ तेजी से प्रवट हो रही हैं। इसकिए और भी ज्यादा जस्ती है कि ग्रामदान पर चिन्तन पा प्रवाह रखने न पाये और उसके लिए गामगी बराबर मिलती रहे। यही सोचबर हम गोष्ठी की रिपोर्ट मात्र न नियालबर एक पुस्तक ही प्रकाशित पर रहे हैं।

आज हुनिया में गांधी-विचार की धाधार मानवर दो ही जन-आनंदोलन चल रहे हैं—एक अमेरिता में नीप्रो-आनंदोलन और दूसरा भारत में ग्रामदान-आनंदोलन। ये दोनों मनुष्यों के समाज में मनुष्यता की स्थापना के आनंदोलन हैं, इसलिए इनका विश्व-स्तर है। इनकी भूमिका में कोई मंत्रीने 'आइडियालाजी' नहीं है, यत्कि ही जीवन के शास्त्रन मूल्य—विनाशी बल्यना मनुष्य ने गादियों पहले की, विनाशी योजना गांधीजी छोड़ गये और अब विनाशी गाधना—गामारिंश गाधना—परने का गोरव हम कार्यवर्तीजों को ग्राप्त हुआ है।

यह पुनराव द्वारे इतिहास में प्रथातृ ने गाय जोड़ने में महापर होनी। हमारा गुणाय है यि हर वार्षिकी और इन वार्षिक में इन रथनेगामा हर नार्यारित इस ठोड़ी पुनराव की एह प्रति अनने पास जल्द रखें।

इस ग्रामदान-गोष्ठी का आयोजन और ग्रामतन भाई राममति ने किया है। इस कार्यकारिता को संचार करने का ध्येय भी हर्दीहो है। इसके लिए में उनको और उनके गादियों के प्रति—विनाशी हम घाम में उनकी मर्दत भी है, गग को भ्रो गे हुगतना प्रहट करता है।

—गणपात्र
कर्त्ता
गर्व गेश मंद

अनुक्रम

पृष्ठभूमि

३-१०

मामूली सेवा बर्गरह अभी नहीं,
इस बर्कत नहीं। इस बर्कत श्राति,
भूमि-क्राति।

। आमदान : प्रचार (लोक-शिक्षण)	११-३७
१ ग्रामदान-मूलक श्राति का चित्र (इमेज)	११
(क) दूर का चित्र (अल्टिमेट इमेज)	११
सभग्र विकास की भानवीय भूमिका	११
बन्धनों से मुक्ति	१२
मूल्यों की श्राति	१३
नागरिक श्राति बनाम गुट का पद्धत्यन्त्र	१४
‘एलिमिनेशन’ नहीं, ‘एसिमिलेशन’	१६
व्यक्ति, गर्व और विश्व	१७
शान्तिपूर्ण प्रतिवार यानी पूर्ण आत्मोत्तर्ग की तैयारी	१८
(ख) तात्कालिक चित्र (इमीडिएट इमेज)	१९
ग्रामदान प्रतिरक्षा, विकास और लोकतात्र के लिए	१९
सधर्ष-मुक्त समन्वय की श्राति	२०
सामूहिक पुरुषार्थ अनिवार्य	२३
राष्ट्र की भावनात्मक एकता और ग्रामदान	२४
विकास की योजना, पूँजी, शक्ति	२५
लोकनिष्ठ रामाज-रचना	२५
इत्यमुक्त व्यवस्था-युनिपादी लोकतात्र	२७
विविध समस्याओं की चुनौती	२८

लोकतात्त्विक समाजवाद का धुभारम्भ	३०
'बहु' की नहीं, 'सर्व' की जीवननीति	३१
स्त्री और मजदूर-मुक्ति	३१
जनता सत्रिय कैसे हो ?	३२
२. चित्र (इमेज) कैसे प्रस्तुत करें ?	३३
(क) साहित्य द्वारा	३३
(घ) सम्पर्क द्वारा	३५
(ग) तात्त्वालिक स्थानीय समस्याओं को माध्यम द्वारा	३७
२. ग्रामदान : प्राप्ति (लोक-निषंख)	३८-५२
१. ग्रामदान की शर्तें और कुछ प्रश्न	३८
(व) क्या स्थामित्व-विसर्जन की शर्त ढोली की जाय ?	३८
(घ) भूमि की विक्री या बघव के लिए ग्रामदान की अनुमति	३९
(ग) मजदूर पो विसान बनाने पर उत्पादन-भद्रति क्या हो ?	४०
(प) भूमिहोनता भिटाने का रावाल	४२
(इ) मालिक-मजदूर बीच की याई	४५
(घ) मवंसम्मति, सर्वानुमति का स्वावहारिक स्वरूप	४५
२. ग्रामदान ऐसे जनआनंदोन्न या मात्र कार्यक्रम ?	४८
(व) ग्रामदान में दूसान की गति यौगि आये ?	४८
विरोध	४९
जनता को उदाहोनां	५०
अपूर्णां—जार्दंवार्षिक्रा की, विचार की ?	५०
३. (प) आरोग्य की मिथि कुछ याम याने	५१
(घ) आनंदाना को मिथि कुछ अच याने	५२
४. ग्रामदान : पुष्टि (लोक-गणठन)	५३-७०
१. निर्मां इन्द्रिय का परमा इन्द्रिय	५३
प्रारम्भिक निर्मां-नाम	५४

ग्रामसभा	५४
सरकार से कानूनी सम्बन्ध	५६
वीषाकृष्ण	५७
ग्रामकोष	५८
हिसाब-किताब	५९
ग्रामदान को पबका कब मानें ?	५९
२. विकास - पोपण — लक्ष्य-चित्र	६१
उत्पादन-वृद्धि	६१
शोपण-मुक्ति	६२
नैतिक तथा सास्कृतिक विकास	६२
समग्र-चित्र	६३
विकास की योजना, संगठन, पूँजी	६४
ग्रामदानी गाँव के शिक्षण की योजना	६६
खादी-ग्रामरेयोग	६८
३. शान्ति-सेना : रक्षण	६८
४. अन्य विशेष वातें	६९
गोष्ठी के सुझाव	६९
अध्ययन व शोध के विषय	७०
प्रयोग व चिन्तन के पहलू	७०
	७१-८३
परिशिष्ट :	
१. खादी समिति के सुझाव	७१
२. (अ) ग्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र	७७
(आ) ग्रामदान का व्यवितरण समर्पण-पत्र	८०
३. ग्रामदान-गोष्ठी में भाग लेनेवालों की सूची	८२

पृष्ठभूमि

‘भारत छोड़ो’—आनंदोलन के समय आचार्य कृपालानी ने बापू से कहा था “अगर खादी-कार्यकर्त्ता आनंदोलन में लगते हैं तो यह लाखों रुपये की पूँजी से चल रहा खादी का काम चौपट हो जायगा, सारा सगठन बिखर जायगा।” बापू का जवाब था “जला ढालो सूत और कपड़े अगर जहरत पढ़े तो! यह आखिरी लडाई है। करो या मरो!”

यह बात सन् १९४२ की है। आज १९६६ में विनोबा भी उसी तीव्रता से कह रहे हैं—“हमारे अन्तर की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। दूसरी मामूली सेवा वर्ग रह अभी नहीं, इस बवत नहीं। इस बवत क्रान्ति, भूमि-क्रान्ति चाहिए।”

विनोबा जिस क्रान्ति की इतनी तीव्रता महसूस कर रहे हैं, उसके वाहकों के लिए उन्होंने कहा है—“कार्यकर्त्ता विचार के प्रतिनिधि हैं। वे जहाँ-जहाँ जायेंगे, अग्नि के समान जायेंगे। अग्नि लगायी जाती है, तो जगल के जगल साफ हो जाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं वा ऐसी अग्नि के समान प्रवेश होना चाहिए।”

हम कार्यकर्त्ता जिस विचार के प्रतिनिधि हैं, विनोबा के ही शब्दों में वह ‘सर्वोदय विचार जीवन की एक स्वयंपूर्ण और विधायक दृष्टि’ है, जिसका प्रारम्भ-विन्दु ग्रामदान है। इस ग्रामदान-मूल्क क्रान्ति वीर पूरी ‘इमेज’ हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए, और इससे भी आगे हमारे अन्दर उम क्षमता का विकास होना चाहिए, जिससे हम इस क्रान्ति की ‘इमेज’ वो जनसाधारण तक पहुँचा सकें।

चार्डिल गर्वोदय-मम्मेलन (१९५३) में विनोबा ने कहा था—“हमें

तीसरी शक्ति बढ़ी करनी है। तीसरी शक्ति का मतलब आज दुनिया की परिभाषा में यह होता है कि जो शक्ति न अमेरिका के 'ब्लाक' में पड़ती है, न स्स के 'ब्लाक' में। उसको लोग तीसरी शक्ति कहते हैं। लेकिन मेरी तो तीसरी शक्ति की परिभाषा होगी। जो शक्ति हिंसा की विरोधी है, अर्थात् जो हिंसा की शक्ति नहीं है, और जो दण्ड-शक्ति से भिन्न है, अर्थात् जो दण्ड-शक्ति नहीं है। ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है तीसरी शक्ति।" उस तीसरी शक्ति का उद्घोष करते हुए विनोबा ने उसी सम्मेलन में कहा था कि "हमें स्वतन्त्र लोकशक्ति निर्माण करनी चाहिए—हिंसा-शक्ति की विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न।"

इसी लोक-शक्ति के निर्माण के लिए त्रिविधि कार्यक्रम को तूफान की गति दी जा रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि त्रिविधि वार्यक्रम मूलत विचार-कान्ति की ही एक योजना है। और इस विचार-कान्ति की प्रक्रिया लोक-शिक्षण की है। निश्चित रूप से किसी प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया दूसरों पर कोई विचार, कल्पना, योजना या और कुछ भी, जबरदस्ती लादने की प्रक्रिया नहीं है। बल्कि वह एक पारस्परिक विनिमय की प्रक्रिया है, जिसके लिए सामनेवाले की भावना, उलझन, सकोच और ज्ञानक को समझना, उसकी ऊँचाई-निचाई, गहराई-उथलेपन को जानना, पहचानना आवश्यक है। हमारा विचार सामनेवाले के अन्तर वो स्पर्श करे, इसके लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन ही सही, हमारा उसका एक पारस्परिकता का भावन्सम्बन्ध स्पापित हो। तभी, जैसा कि विनोबा का कहना है, हम विचार के आधार पर छड़े हो सकते हैं, और वह 'शिव-शक्ति' पैदा कर सकते हैं, जो हमें पैदा करनी है।

इसके लिए विचार-प्रचार का अटूट उत्साह और विचार-शक्ति पर जागृत निष्ठा हमारे अन्दर पैदा होनी चाहिए, यदोकि जितना ही अधिक विचार फैलेगा, हमारा काम उतनी ही अधिक सफलता की मजिले तय करेगा।

विचार की स्पष्टता वे अभाव में हम अक्सर फुटकर कामों में पैसते

रहते हैं और घटना-विशेष से प्रभावित होकर धैर्य खोते रहते हैं। कभी-कभी तो हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य है 'सम्पूर्ण-नान्ति' (टोटल रेबोल्यूशन)। हम आज की सम्पूर्ण सामाजिक रचना ही बदलना चाहते हैं। विनोदा कहते हैं—“आँखें खोलते ही चारों ओर अन्याय ही अन्याय दिखाई दे रहा है। रचनात्मक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक और गदी से लेकर यादी तक। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटे-छोटे कामों में व्यर्थ शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए।” तात्कालिक घटनाओं की विभीषिकाओं से पैदा हुई दया-भावना का जो आवेग हमें अक्सर दिग्धान्त करता रहता है, उस सदर्भ में विनोदा ने एक उदाहरण ढारा बहुत ही स्पष्ट मार्ग-दर्शन किया है “एवं ही युद्ध का एक अग है जट्ठमी सिपाहियों की सेवा करना। युद्ध की परस्पर-विरोध गति स्पष्ट है। एक क्रुर कार्य है, दूसरा दया का कार्य है। यह हर कोई जानता है। पर उस दयालु हृदय की वह दयालुता और नूर हृदय की वह शूरता, दोनों मिलकर युद्ध बनता है। ये दोनों युद्ध की बनाये रखनेवाले दो हिस्से हैं। बठोर वैज्ञानिक भाषा में बोलना है तो युद्ध को जब तक हमने कबूल किया है, तब तक चाहे हमने उसमें जट्ठमी सिपाहियों की सेवा का पेशा लिया है, चाहे सिपाही का पेशा लिया है, हम दोना युद्ध के गुनहगार हैं। जट्ठमी सिपाहियों वी उस सेवा से हिस्सा में लज्जत ही पैदा होती है, परन्तु युद्ध की समाप्ति उस दया से नहीं हो सकती।”

चाहे वह आर्थिक शोषण और दैन्य की विभीषिका हो, साम्राज्यिक उपद्रवों का ताप्त्य हो, राजनीतिक विद्वेष की धघवती हुई ज्वाला हो, राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय अशान्ति हो, सवारा मूल बारण यह है कि वर्तमान समाज की पूरी रचना ही हिस्सा पर आधारित है। विनोदा के शादो में “आज समाज की जो रचना है, उसीमें अन्याय निहित है। उसीदे यिलाफ यह ग्रामदान-नान्दोलन है। जब तब समाज की यह रचना नहीं बदलेगी, तब तब उसमें जो दोष 'इन्हेरेन्ट' (स्वभावगत) है, उनको 'टालरेट' (सहन) भी करना पड़ सकता है।”

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

१०

ग्रामदान से प्रारम्भ कर हम सर्वोदय की इस अंहिसक व्रान्ति द्वारा पूरे समाज की गतिशक्ति (डाइनेमिक्स) बदलना चाहते हैं। इसलिए ग्रामदान-मूलक क्रान्ति की 'इमेज' कार्यकर्ताओं के सामने, देश के प्रबुद्ध नागरिकों के सामने, और जो इस व्रान्ति में बुनियादी-वाहक है, उस करोड़ों-करोड़ ग्रामीण जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी 'इमेज' पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए।

पिछले अप्रैल '६६ की १९, २०, २१, २२, २३ तारीखों को सर्वे सेवा सघ के प्रधान कार्यालय-वाराणसी में, ग्रामदान-आन्दोलन के प्रत्यक्ष कार्य में लगे देश के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी थी सिद्धराजद्वाद्दा की अध्यक्षता में हुई। कुल आठ बैठकों में जितनी चर्चाएं हो पायी, उनसे विचारों की बहुत सफाई हुई। और, इससे सबने जो विचारमय-स्फूर्ति महसूस की, उसके आधार पर ही गोष्ठी ने यह तय किया कि देश के हर प्रान्त में, हर जिले में, और हर ग्रामदानी गांव में ग्रामदान-मूलक क्रान्ति की 'इमेज' स्पष्ट करने के लिए गोष्ठियाँ आयोजित की जायें और इस प्रकार एक व्यापक लोक-शिक्षण का कार्यश्रम चलाया जाय। लेकिन फिलहाल प्रथम प्रयास में हर प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रान्तीय स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित की जायें। ऐसा सबने सोचा। इन गोष्ठियों का अधिक उपयोग हो, इनसे विचार-शिक्षण हो सके, इस दृष्टि से वाराणसी की ग्रामदान-गोष्ठी के निष्पर्यं संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आन्दोलन बढ़ रहा है। प्रखण्डदान के रूप में उसका नया चित्र सामने आया है। सामने और बहुत कुछ दिखायी दे रहा है। नयी सम्भावनाएं और सम्भावनाओं के साथ नयी समस्याएं प्रकट हो रही हैं। हम सम्भावनाओं का लाभ ले सकें और समस्याओं को हल कर सकें, इसलिए बार-बार मिलने और मिलकर सोचने की जरूरत है।



ग्रामदान : प्रचार (लोक-शिक्षण) : १ :

१. ग्रामदान-मूलक क्रान्ति का क्या चित्र (इमेज) जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय ?

हर क्रान्ति जनता के सामने भावी समाज-रचना का एक चित्र रखती है। उस चित्र में मनुष्य अपनो समस्याओं का हल, चिन्ताओं से मुक्ति, और आशाओं की पूर्ति देखता है, और देखकर ही कुछ करने को तैयार होता है। इसलिए क्रान्ति के लक्ष्य बिलकुल स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य दूर और नजदीक, दोनों के होते हैं। दोनों समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

क. दूर का चित्र (अस्टिमेट इमेज)

(१) सम्पूर्ण मनुष्य के समग्र विकास (डेवलपमेंट) को उन्नत मूमिका—विज्ञान के लाभ और लोकतन्त्र के अवसर 'सर्व' के लिए मुलभ करना—नये मानवीय सम्बन्धों के सम्बर्थ में ही साधनों और अवसरों का उपयोग। ग्रामदान से यारहब में गीव का 'जन्म'—मानवीय परिस्थिति (हृष्मन सिचुएशन) का निर्माण—धर्म, बुद्धि और पूर्जी के पूर्ण सहयोग की मूमिका।

आज लोक-कल्याण के नाम पर विकास की जो सरकारी या अर्द्ध-सरकारी योजनाएँ चलती हैं, वे समाज की बेबल मरहमपट्टी करती हैं। इसलिए जड़ से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाज की बुनियादें तो बदलती ही नहीं। पिछले वर्षों में अपने देश में जो भी योजनाएँ

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुण्डि

१२

चली है, उनसे ऊपर के ही कुछ लोगों को लाभ पहुँचा है। समाज के अधिक लोगों तक भी नहीं पहुँचा है, 'सर्व' की तो बात ही बया? आज के समाज की रचना ही ऐसी है कि कोई भी योजना हो, ऊपर-ऊपर निकल जाती है और नीचे के लोग अछूते रह जाते हैं, यद्योकि ये योजनाएँ विकास के लिए आवश्यक मानवीय सन्दर्भ का निर्माण नहीं करती।

ग्रामदान से गाँव का नया जन्म होता है। आज गाँव गौव नहीं, केवल घरों के समूह है। उनमें न ग्राम-भावना है, न एकता, और न कोई आपसदारी। जब ग्रामदान होता है, बीघे में कट्टा निकलता है, बालिगों की ग्रामसभा बनती है और सबकी कमाई से ग्रामकोष इकट्टा होता है, तो गाँव के मालिक-मजदूर-महाजन सब एक दायरे के अन्दर आ जाते हैं, एक सूत्र में बैंध जाते हैं। ग्रामसभा में बैठकर सबको सबकी बात सुननी और सोचनी पड़ती है। एक को दूसरे से अलग करनेवाली दीवालें ढहती हैं, और दिल धीरे धीरे नजदीक आते हैं। इस तरह जब सम्बन्ध नये होते हैं, तो स्वभावत नये साधनों और अवसरों का लाभ सबसे पहले उनको पहुँचाने की चिन्ता होती है, जो सबसे नीचे होते हैं। सामने बैठे हुए दुखी, भूमिहीन मजदूर या दस्तकार को, जो ग्रामसभा का वरावर दर्जे का रादर्य है, छोड़कर सब कुछ अपनी जेब में रख लेने की योजना मालिक या महाजन है, शक्ति रखेगी, तो सबका हित हो रखेगा।

(२) आज के बन्धनों से मुक्ति—राज्यवाद, पूँजीवाद, सेनिकवाद, सम्प्रदायवाद। राज्य, पूँजी और शस्त्र वो शक्तियों को अमरा लोकशक्ति के अधीन करना और उनके प्रयोग सीमित करना ताकि भविष्य में उनका लोप हो सके और समाज मृत, और निष्पादिक मानवों पर भाईचारा बन जाय।

विचार के आग्रह से जुड़ जाय, तो वह विज्ञान नहीं रह जायगा। इसी तरह अगर लोकतन्त्र अंहिंसा वा आधार छोड़ दे, तो वह सख्यान्त्र बन जायगा, वहुमत अल्पमत का दमन बरेगा, और अल्पमत 'विरोधवाद' को अपना धर्म बना लेगा। नतीजा यह होगा कि इस अराजकता में से कौजी तानाशाही का जन्म होगा। निराश जनता विवश होवर आण के लिए अपने को सेना के हाथों में सौप देगी।

विनोबाजी बराबर कहते हैं कि विज्ञान और आत्मज्ञान का मेल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विज्ञान ने जो शक्तियाँ पैदा की हैं, जो साधन बनाये हैं, उन्हें लेकर मनुष्य-जाति अपना सर्वनाश कर डालेगी। इसलिए अगर विज्ञान को मनुष्य के अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्ति वा साधन बनाना हो, तो समाज में अनुकूल मानवीय सम्बन्धों का सन्दर्भ बनाना चाहिए। अगर मनुष्य की बुद्धि किसी सिद्धान्त के नाम पर उत्तेजना, आग्रह और उन्माद की गुलाम बनी रहे, तथा एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच सहकार नहीं, शत्रुता का सम्बन्ध हो, तो निश्चित रूप से मनुष्य विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए करेगा। ग्रामदान पडोसी को पडोसी वे साय जोड़ता है, जीविका और जीवन दोनों को सहकारी बनाता है, इसलिए सत्य (विज्ञान) और अंहिंसा (लोकतन्त्र) की स्थापना के लिए मानवीय सम्बन्धों वा अनुकूल सन्दर्भ तैयार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि मनुष्य-मनुष्य के वास्तविक हित में विरोध है ही नहीं, विरोध समाज है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच मनुष्य होने के नाते एकता की रचना में है। मनुष्य और मनुष्य के बीच मनुष्य होने के नाते एकता मूलभूत है। मनुष्य 'एक' होवर ही रह सकता है। आज के युग में एकता अस्तित्व का प्रश्न बन गयी है। ग्रामदान यी कान्ति मनुष्य वो मनुष्य से विसी जीवन-दर्शन (आइडियालॉजी) के आधार पर अलग नहीं करती, वह मूलभूत एकता वो समाज-परिवर्तन की शक्ति बनाती है।

(४) नागरिक की कान्ति बनाम गुट का घट्यन्त्र और दल का शासन। लोकतन्त्र और विज्ञान की भूमिका में संघर्ष

मुरत क्रान्ति—कान्पिलवट या कन्कन्टेशन नहीं, कन्वशंन—
उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया ।

विज्ञान और लोकतन्त्र की भूमिका में क्रान्ति सधर्प-मुक्त ही सम्भव है । स्वभावत् सधर्प-मुक्त क्रान्ति की प्रक्रिया पड़यन्त्र या विरोधवाद की न होकर विचार-परिवर्तन की होगी, शिक्षण की होगी । विज्ञान विचार की शक्ति पर खड़ा है और अगर लोकतन्त्र विचार-परिवर्तन पर न विश्वास करे, तो वह टिकेगा कितने दिन ?

विज्ञान के युग मे सधर्प का अर्थ है सहार । जितना ही बड़ा सधर्प उतना ही व्यापक और जल्द सहार । उसी तरह लोकमत पर चलनेवाले लोकतन्त्र का तो सधर्प से कही मेल ही नहीं है । इसलिए अगर विज्ञान और लोकतन्त्र की रक्खा करते हुए क्रान्ति करनी है, तो वह क्रान्ति सधर्प-मुक्त ही हो सकती है । और, जो क्रान्ति सधर्प से मुक्त होगी, उसमे पड़यन्त्र आदि के लिए स्थान कहाँ होगा ? वह खुली होगी, वह सबकी होगी, उसके पीछे लोक-राम्मति की शक्ति होगी । वह विश्वास रखेगी कि मनुष्य का विचार-परिवर्तन हो सकता है । उसका आधार गुट या दल का समर्थन नहीं होगा, बल्कि होगा लोक की प्रेरणा, लोक का निर्णय । ग्रामदान की क्रान्ति में परिस्थिति की प्रतीति के आधार पर विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया है । ग्रामदान लोकतन्त्र के 'तन्त्र' को गौण मानकर 'लोक' को जगाता है, उसे सशक्त बनाता है । इतना ही नहीं, ग्रामदान का लोकतन्त्र वहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नहीं, स्वयं 'लोक' की सहकार-शक्ति पर भरोसा रखता है । इसलिए ग्रामदान विज्ञान और लोकतन्त्र के युग के अनुरूप क्रान्ति-पद्धति विकसित करने की दिशा में बुनियादी बदल है । युग के साय-भाय क्रान्ति की पद्धति भी बदलती जाती है । एक जमाना था, जब मुक्ति के लिए राजा की जालिम सत्ता के बिरद्द खुला युद्ध छेड़ना पड़ता था । किर पड़यन्त्र और सधर्प का जमाना आया । इस का क्रान्तिकारी नेता लेनिन जितना भी चाहता, लेकिन जारूरताही के अन्त मे लिए पड़यन्त्र और सधर्प (क्रान्तिकार) के निवाय

दूसरा करता था ? जमाना उससे भी आगे बढ़ा तो गाधोजी वा अद्वेजी राज के मुकाबिले दबाव (वान्फेण्टेशन और प्रेशर) से काम चल गया । अब यह जमाना एक और लोकतन्त्र का है, विज्ञान की असीम सम्भावनाओं का है, और दूसरी ओर विद्य सघ वा है । ऐसे जमाने में श्रान्ति की वही पद्धति नहीं होगी, जो लोकतन्त्र और विज्ञान को मानव-व्यवस्थण के लिए बचा ले, फिर भी समाज का परिवर्तन बर दे । वह पद्धति मनव और विकास (परसुएशन और एजूकेशन) की ही हो सकती है । अब हिंसा और सहार अनुचित भी है और अनावश्यक भी । हजारों ग्रामदान और दर्जनों प्रखण्डदान इस बात के प्रमाण हैं कि मनुष्य की चेतना मुक्ति के लिए तैयार है—सघर्यमुक्त श्रान्ति के लिए ।

(५) सार्वत्रिक अभय-भावना । 'एलिमिनेशन' की श्रान्ति में भय, लेकिन 'ऐसिमिलेशन' को प्रक्रिया में भय के लिए स्थान नहा ।

ग्रामदान में सार्वत्रिक अभयभावना है । इसमें भय के लिए कही स्थान ही नहीं है । इसकी योजना में अभाव, अज्ञान या अन्याय से मुक्ति के लिए व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का, जाति द्वारा जाति वा, वर्ग द्वारा वर्ग वा सहार (एलीमिनेशन) करने की जट्ठत नहीं है । प्रश्न है पूरी व्यवस्था बदलने वा, और ऐसी रचना करने वा जिसमें सबके लिए उचित स्थान हो, लेकिन कोई विसीके सीने पर सवार न हो । आज की व्यवस्था में सभी चिन्तित हैं और मुक्ति चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यवस्था के सामने असहाय हो गया है । वह देख रहा है कि अदेले-अवेले वह जीवन यो समस्याओं वा मुकाबिला नहीं बर साता । जैसे-जैसे यह प्रतीति व्यापक होती जा रही है, सहवार शक्ति वे विवास वे लिए ठोस आधार बनता जा रहा है । क्फन्ति वा जो विचार मालिक मजदूर को एवं दूसरे का दुर्मन मानता था, वह पुराना हो गया । सर्वोदय की श्रान्ति यह मानती है कि सभी व्यक्ति और समुदाय दूषित व्यवहार है । आज, जाप और अवसर मिले, तो ।

उठेगा (विज्ञान के इस युग में मनुष्य ऊपर उठना ही चाहता है, लेकिन सरकार और समाज की रचना उसे उठने नहीं देती) वह बार-बार उठना चाहता है, और बार बार गिरा दिया जाता है, और जब वह गिर जाता है तो उसका गिरना उसकी भालायकी का प्रमाण बन जाता है, और डण्डे की शक्ति से उसे सुधारने का स्वींग रखा जाता है। लेकिन भय से कहीं गुण-विकास हो सकता है? और, गुण विकास के बिना मनुष्य मनुष्य बन सकता है? मनुष्य मनुष्य यी सहायता से मनुष्य बनेगा, डण्डे के जोर से नहीं। पड़ोसी को पड़ोसी की शक्ति मिले और दोनों हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़े, इसकी बुनियादी योजना ग्रामदान-प्रयोगदान में है, बल्कि वही उसका आधार है। ग्रामदान केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, उसमें समाज-परिवर्तन है, चित्त-परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन के लिए विरोधी व्यक्ति या समुदाय का सहार (एलिमिनेशन) नहीं है।

(६) जीवन का समान सामुद्रिक बर्तुलो में—इष्टित और गाँव से लेकर विश्व तक। गाँव 'सहजीवन' की स्वाभाविक इकाई।

आज मनुष्य और मनुष्य के बीच अनेक दीवालें हैं—धन वी, धर्म वी, जाति वी, सम्प्रदाय वी, भाषा वी, क्षेत्र वी, जन्म वी, सस्वति वी, यहाँ तक कि राष्ट्र भी एक जबरदस्त दीवाल ही है जो विश्व-मानव के विश्व-हृदय को ऊपर नहीं आने दे रही है। एक ही राष्ट्र के अन्दर स्वयं सरकार ने तरह-तरह की दीवालें बना दी है। जिला, राज्य, शासक वासित, शिक्षित-अशिक्षित, दल और दल, आदि दीवाले ही तो हैं, जिनके आपसी टकराव के भौंकर में आदमी पड़ा हुआ है, और किसी मोट्क लेकिन सकुचित नारे के उन्माद में अपनी पाश्चायिकता का प्रदर्शन करते में ही अपने जीवन की मार्थनता मानता रहता है।

गाँव जीविका और जीवन वी स्वाभाविक इकाई है। इस बर्तुल के भीतर परिवार है, उसमें भी भीतर व्यक्ति, जो सबके बैन्ड में है। व्यक्ति-परिवार-गाँव के बाद प्रमेश सहवारी समाज में सहवार ऐ बर्तुल बहने

जायेंगे । इसके विपरीत आज समाज के ढाँचे में ऊपर से नीचे तक अनेक परतें हैं, जिनमें एक परत दूसरे के नीचे दबी हुई है ।

प्रेम और सहकार के ये वर्तुल समुद्र के वर्तुलों की भाँति होंगे, जिनमें छोटा वर्तुल विकसित होकर बड़ा वर्तुल बनता है, और बनता ही जाता है । छोटा बड़े में विलीन होता है, लेकिन छोटे का विनाश नहीं करता । एक दिन आयेगा जब आज की दमन की दीवाले ढह जायेंगी, और व्यक्ति से विश्व तक इसी तरह के प्रेम-वर्तुलों में समाज सगठित हो जायगा । ग्रामदान जीवन का यहीं चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि व्यक्ति अपनी जगह बना रहे, लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी पूँजी, उसकी शक्ति बड़े वर्तुल से जुड़ जाय, और ग्रामसभा के रूप में गाँव एक प्रेम वर्तुल बन जाय । एक बार गाँव बन गया तो उसके बाद बड़े वर्तुलों का बनाना सहज होगा ।

विनोदा के शब्दों में “ससार की भावी व्यवस्था में दो ही चीजें हमारे समक्ष रहेंगी ग्राम और विश्व । सुविधा के लिए दुनिया के नवशे पर विभिन्न देशों के नाम चाहे रहेंगे, परन्तु विश्व और ग्राम के बीच अन्य विसी तन्त्र का अस्तित्व नहीं रहेगा । जीवन के भौतिक पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली सम्पूर्ण सत्ता गाँव में रहेगी । गाँव में अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं करने की शक्ति होगी । सम्पूर्ण जगत् के नैतिक विवास और प्रगति की सत्ता विश्व-केन्द्र के हाथों में होगी । राज्य अथवा जिले केवल ग्राम-समाज के प्रतिनिधि रहेंगे । इस प्रकार सम्पूर्ण व्यवस्था का आधार ग्राम होगा और उसके केन्द्र में विश्व-सत्ता होगी । मानव-समाज का सगठन छोटी-छोटी ग्राम-सभाओं के आधार पर होगा । इस ग्राम-समाज में हमें सच्चे भ्रातृभाव के और सच्चे सहयोग के दर्शन होंगे । निजी स्वामित्व के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ।”

(७) ग्रामदान से विश्व-शान्ति—जीविका में शान्ति, जीवन में शान्ति । जनता के नित्य-जीधन में दमन वा तन्त्र नहीं । आत्ममण की लिप्ता नहीं, लेकिन प्रहार होने पर शान्तिपूर्ण प्रतिकार, यानी पूर्ण आत्मोत्त्सर्ग की पूरी तंयारी ।

सहकार और प्रेम के ये वर्तुल शान्ति के वर्तुल होगे—समर्पण और सहार के नहीं। ये वर्तुल नित्य के जीवन में स्वावलम्बी होगे, लेकिन परस्परावलम्बन से एक दूसरे को समृद्ध करते रहेंगे। किसी वर्तुल का किसी दूसरे वर्तुल के द्वारा दमन या शोपण नहीं होगा। हर इकाई दूसरी इकाई की पूरक होगी। ग्रामदान से अगर गाँव शान्ति और सहकार की पहली इकाई बन जाय, तो दूसरी इकाइयों का उसी आधार पर क्रमशः विकास होता जायगा, और विश्व-शान्ति के वर्तुल तैयार होते जायेंगे।

स. तात्कालिक चित्र (इमीडिएट इमेज)

(१) एशिया-अफ्रीका के नये, स्वतन्त्र देशों की स्थिति—प्रचलित पद्धतियों की अपूर्णता। प्रतिरक्षा (डिफेंस), विकास (देवलपमेण्ट) और लोकतन्त्र (डिमाकेसी) के लिए जनता ने उसके नित्य के जीवन के स्तर पर संगठित करना—ग्रामदान उस दिशा में सबल कदम और ग्राम-नसभा समर्पण माध्यम।

हम देख रहे हैं कि एशिया, अफ्रीका, लैंटिन अमेरिका के सदियों के शोपण से जर्जरित देश अपना विकास करना चाहते हैं, और शीघ्र-से-शीघ्र अति विकसित पश्चिमी देशों की वरावरी में आ जाना चाहते हैं। विकास के लिए इन तमाम देशों को पश्चिमी राष्ट्रों की ओर ताकना पड़ रहा है। उनकी पूँजी के सहारे ही इनके विकास की योजनाएँ चल रही हैं। सुरक्षा के सवाल पर अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाने में इन देशों की अपनी लगभग आधी—कही-कही उससे भी ज्यादा—पूँजी और शक्ति लगानी पड़ रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि इनके विकास की योजना की गति इतनी धीमी है—गलत दिशा का सवाल अलग है—कि उसके कारण आन्तरिक अशान्ति एक स्थायी समस्या हो गयी है। विकास की कौन कहे, जनता की नित्य की आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो रही हैं, और वह अधीर होकर मुक्ति के लिए नेताओं को छोड़कर सेना की ओर देखने लगी है। एक

के बाद दूसरे देश में तानाशाही वा कायम होना नेताशाही और नौकरशाही की विफलता वा परिणाम है ।

शस्त्र और सैन्यनिष्ठ प्रतिरक्षा, पूँजी-निष्ठ वित्तास तथा दलनिष्ठ लोकतन्त्र से नये देशों वी समस्याएँ हल नहीं हो पा रही हैं । हो भी नहीं सकती, क्योंकि अविकसित देशों में पाता न अपनी पूँजी है, न अपने शस्त्र। लोकतन्त्र के नाम पर चलनेवाली दलों की राजनीति उन्हें शक्तिशाली बनाने की जगह उनकी एकता और शक्ति को दिनोंदिन खण्डित करती जा रही है । इसलिए इन समस्याओं के हल के लिए तो जनता वो उसके नित्य के जीवन-स्तर पर ही सगठित करना होगा । जनता की ही शक्ति समस्याओं का मुकाबिला कर सकती है ।

ग्रामदान उस दिशा में एक सबल कदम है । जब कोई गाँव ग्रामदान की धोपणा करता है, तो उस गाँव के लोग आज जहाँ हैं, वहाँ पड़े रहने की जगह एक नयी दिशा की ओर मुड़ते और आगे कदम बढ़ाते हैं । भूमि की व्यक्तिगत मालिकी वा विसर्जन और ग्रामीकरण गाँव को एक सगठित इकाई बनने के लिए बुनियादी आधार प्रस्तुत करता है । सब बालिगों को मिलाकर ग्रामसभा बनती है, जिसमें सभूह की शक्ति सगठित होती है । इस क्रम में पूरे राष्ट्र को एक करने की सम्भावना छिपी हुई है । स्पष्ट है कि यदि कोई देश आपसी भेदभाव की दीवारे ढहाकर सगठित हो जाय, तो वह सगठित शक्ति ही वास्तविक प्रतिरक्षा की गारण्टी हो सकती है । इसी तरह विशाल जनता की श्रम शक्ति विकास की शब्द से बड़ी पूँजी है, और उसकी एकता लोकतन्त्र का सबसे मजबूत आधार ।

(२) स्वराज्य के बाद अपने देश में घट्याल की शासन-नीति, विरोधवाद की राजनीति, और राहत की हेवानीति का भरपूर विकास । समाज की समस्याएँ हल करने में तीनों विफल—तो अब क्या ? एक जन-आमदोलन की आय-प्रयत्नता—ग्रामदान से उसको पूर्ति । विरोध और सघर्ष

से 'सर्व' का नाश—वर्ग-संघर्ष, जाति-संघर्ष, भाषा और सम्प्रदाय-संघर्ष आदि। समन्वय की आनंद से ही 'सर्व' का उदय।

स्वराज्य के बाद अपने देश ने कल्याणकारी लोकतन्त्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें आगे चलकर समाजवाद का नारा भी जुड़ गया। अब हमारा देश लगातार लोकतान्त्रिक समाजवाद का उद्घोष करता जा रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? हमारी पचवर्षीय योजनाएँ अब तब हमें कहाँ ले गयी, और आगे कहाँ ले जानेवाली हैं?

इन वर्षों में देश में 'लोक' की कोई ताकत नहीं बन पायी है। 'लोक' का 'तन्त्र' पर नियन्त्रण हो, यह तो दूर का सपना है। वस्तुस्थिति तो यह है कि 'लोक' पगु हो गया है। जनता दिनादिन अमहाय और अधिकाधिक राज्याश्रित होती चली जा रही है। विकास और लोक-कल्याण के नाम पर जो कुछ भी किया गया है, उससे न तो जनजीवन की मूल आवश्यकताएँ ही पूरी की जा सकी हैं, न विप्रमता ही घटी है, बल्कि विवास-योजनाओं के परिणाम से तो विप्रमता की खाई और भी चौड़ी हुई है। सरकार द्वारा केन्द्रित और भारी उद्योगों को ही अधिकाधिक प्रोत्साहन दिये जाने से देश की सम्पत्ति कुछ घोड़े से सम्पत्तिवान लोगों के हाथों में केन्द्रित हुई है। या राज्य के नियन्त्रण में गयी है। और, जिस समाजवाद का नारा हम वर्षों से लगा रहे हैं, उसका समाज निरन्तर दरिद्र होता चला गया है, जिसका प्रमुख कारण है कि आम जनता की शक्ति को समर्थित करने, उनके विखरे हुए जीवन को जोड़ने का कोई प्रयास ही नहीं हुआ। लोक-कल्याण लोक की शक्ति के सहयोग के बिना कैसे सम्भव हो सकता था? और लोक-शक्ति का सहयोग तो तब न प्राप्त होता, जब 'लोक' के जीवन का कोई सहकारी आधार बनता, उसकी एक दूसरे को तोड़नेवाली प्रवृत्ति समाप्त होती और लोग एक दूसरे से जुड़ते।

वृद्धाण की शासन-नीति विफल हुई, क्योंकि इस वृद्धाण की प्रतिया

और पढ़ति में जिस लोक वा कल्याण करना था, वही पगु होता गया । लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सकट की परिस्थिति पैदा हुई विरोधवादी राजनीति के पारण ।

देश के राजनीतिक दलों की कुल शक्ति दो कामों के लिए सीमित है—(१) चुनाव लड़ना, और (२) चुनाव में अधिक-से-अधिक मत प्राप्त करने के लिए जनता के क्षोभ को उभाड़ना और उसका अपने पथ के लिए समर्थन प्राप्त करने में इस्तेमाल करना । जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता आदि की दुहाई देकर गुटबन्दी करना और इस प्रकार जनजीवन के टुकड़े-टुकड़े करके फिर नित्य नये लुभावने आश्वासन देना कि हमारे दल की सरकार होगी तो जनता के लिए यह करेगी, वह करेगी । राजनीतिक दलों की होगी तो जनता के लिए यह करेगी, वह करेगी । राजनीतिक दलों की सत्ताकाष्ठा के कारण ही आज देश में एक बे चाद दूसरे उपद्रवों और पद्यन्वों का जो दुश्चक्ष चल रहा है, उसने गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी है । राजनीति के नाम पर देश के नेताओं और बुद्धिमान लोगों की कुल बुद्धि देश की एकता को खण्डित करने में ही लगी हुई है । देश गौण हो गया है, दल मुख्य हो गया है, इसीलिए देश दलों के दलदल में बुरी तरह फँस गया है ।

सत्ता और राजनीति के विरोधवाद से अलग देश में ऐसे लोग भी हैं, जो सेवा और राहत का काम कर रहे हैं । लेकिन एक तो जन-जीवन को क्षीण करनेवाली प्रवृत्तियाँ इतनी सशक्त और तीव्रगतिवाली हैं कि सेवा और राहत के काम से उस स्थिति में बोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरे, कल्याणकारी राज्य के नारे ने जनजीवन को इतना अधिक पगु बना दिया है, राजनीति के विरोधवाद ने उसे इतना अधिक खण्डित बर दिया है कि उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता । मही कारण है कि सेवा और राहत की प्रवृत्तियों को भी लोकशक्ति वा आघार नहीं मिल रहा है, और वे प्रवृत्तियाँ भी राज्याधित ही होती जा रही हैं । इसीलिए आज सबाल लोक की सेवा वा नहीं है, सबाल है लोक की मुक्ति का—इस नेताजाही, नौकरशाही और विरोधवादी राजनीति से मुक्ति

का। इसलिए आवश्यकता है एक सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति की। सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति के लिए समाज के आज के ढाँचे को बदलना होगा। यह तभी सम्भव होगा जब एक व्यापक जनआन्दोलन हो। ग्रामदान आन्दोलन उसी सम्पूर्ण और समग्र जनक्रान्ति की बुनियाद है—एक व्यापक जनआन्दोलन की शुरुआत है।

ध्यान देने की बात है कि अगर सम्पूर्ण और समग्र क्रान्ति की आवश्यकता है, तो वह धर्म-सघर्ष, जाति-सघर्ष, भाषा और सम्प्रदायों के सघर्ष से सम्भव नहीं है। विज्ञान की शक्ति ने आज हमें इस जगह पहुँचा दिया है कि वर्गों के सघर्ष से 'सर्व' का नाश होगा, इसलिए अब हम सघर्ष को समाप्त करे और समन्वय की शक्ति विकसित करे। समन्वय की क्रान्ति से ही 'सर्व' का उदय होगा। समन्वय बिना? मालिक वी बुद्धि, महाजन की पूँजी और मजदूर वे थम वी शक्तियों का।

वर्गों की हितसाधना के लिए आयोजित सघर्ष खास्तव में हितों की टक्कर मात्र होती है। इसीलिए अब विरोधमूलक दृष्टिकोण बदलना होगा। ग्रामदान से वह नया दृष्टिकोण बनता है जिससे गाँव के लोगों की रचनात्मक वृत्ति वो प्रोत्साहन मिलता है, परस्पर को बाटनेवाली प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ और मनोवृत्तियाँ समाप्त होती हैं। इसीलिए पूँजीवाद और माम्यवाद से भिन्न यह एक तीसरा मार्ग है—नयी समाज-रचना का। गुटों में पड़्यन्त्र और दलों वे विरोधवाद से अलग आज की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के विरुद्ध जगे हुए समुदाय वे विद्वोह वो यह नयी प्रक्रिया है ग्रामदान।

(३) अलग-अलग परिवार जीवन की लड़ाई में हार रहे हैं—न पूँजी, न बुद्धि, न शक्ति—सामूहिक धुर्घात्य के बिना अस्तित्व आसम्भव। ग्रामदान से वह सम्भव।

आज वी परिस्थिति में अलग-अलग परिवार जीवन-सघर्ष में पराजित हो रहे हैं, वर्णोंपाँ उनरे मामने जो भग्स्याएँ हैं, उन समस्याओं के समाधान

वे लिए विसी एक परिवार के पास न तो पर्याप्त पूँजी है, न बुद्धि है, और न श्रम वी शक्ति है। इसलिए अब जबेले-अबेले अपने अस्तित्व को बायम रखना असम्भव हो गया है। इस युग की समस्याओं के समाधान का एक ही मार्ग है वि बुद्धिवाले, पूँजीवाले, श्रमवाले एक साथ जुड़ जायें, उनकी सहवारी शक्ति बने।

ग्रामदान से जो सामूहिक चेतना पैदा होती है, ग्रामभावना जगती है, उसवे आधार पर सहवारी शक्ति संगठित होगी। यह नयी शक्ति ही बतंमान परिस्थिति को बदलेगी, और नयी रचना की बुनियाद डालेगी।

(४) राष्ट्र की भावनात्मक एकता का प्रश्न—

ग्रामदान से एकता पा सुदृढ़ आधार—जाति-निष्ठा, वर्म-निष्ठा, भाषा-निष्ठा आदि सकुचित निष्ठाओं के स्थान पर ग्राम-निष्ठा, समाज-निष्ठा, आदि।

आज वी परिस्थिति में जीविका के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्दर है। उसके बारण आपस में प्रतिस्पर्द्धा है, और इसी आधार पर विकसित व्यक्ति-केन्द्रित जीवन मूल्य है और हितों की सबीण मनोवृत्ति है। इसी बुनियाद पर जाति निष्ठा, वर्म निष्ठा, क्षेत्र निष्ठा और सम्प्रदाय-निष्ठा बढ़ी है, और राष्ट्र-निष्ठा घटी है। राष्ट्र की भावनात्मक एकता का सवाल जटिल हो गया है, विराधवादी राजनीति उसे और भी जटिल बना रही है। विदेशी आकर्षणों के समय तो एकता कुछ समय तक दियाई देती है, आकर्षण-बाल समाप्त होते ही पुराने खण्डवादी नारे पुन देश में गूँजने लगते हैं, क्योंकि जीवन की जो बुनियाद है उसमें समुदाय के प्रति निष्ठा वही है ही नहीं।

ग्रामदान से यह स्थिति समाप्त होती है, और एक नयी ग्रामनिष्ठा तथा समाजनिष्ठा पैदा होती है। बीघा में बड़ा निकालना, ग्रामकोण बनाना, सर्वसम्मति से सब के हित के लिए सर्वजन की ग्रामसभा संगठित करना, आदि सबल सामाजिक प्रवृत्तियों की बुनियाद पर राष्ट्र की भावना-

तमक एकता के लिए अनिवार्य जाति, वर्ग, क्षेत्र और सम्प्रदाय-निरपेक्ष वृत्ति का निर्माण होता है। गाँव एक होगा तो सकुचित भावनाओं को उभाड़नेवाली राजनीतिक गुटबन्दी के गाँव में धुसने वे अवसर ही समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि तब किसी भी प्रकार के चुनाव में राजनीतिक दलों और गुटों से ग्रामदानी गाँव के लोग साफ-साफ कह सकेंगे—‘आप सब एक साथ अपना-अपना विचार हमारे सामने रख दीजिए। आपकी बातें सुनकर हम आपस में विचार करेंगे और जिसे योग्य समझेंगे उसे अपना मत देंगे। हृष्पया अब दुबारा आप लोग चुनाव की बात लेकर हमारे गाँव में न धुसें।’

ग्राम एकता की इस ठोस वुनियाद पर ही सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो सकेगा।

(५) विकास के लिए पूँजी का प्रश्न—ग्राम-स्तर पर कोष का सप्रह और श्रम का सयोजन—गाँव की योजना, गाँव की शक्ति, गाँव का हित।

गाँव जब एक स्वतन्त्र इकाई बन जाता है, और वहने गाँव के विकास का सयोजन गाँव में वसनेवाले सब लोगों के हित की दृष्टि से करता है तो उसके सामने प्रारम्भिक पूँजी का प्रश्न खड़ा होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए गाँव के स्तर पर, उत्पादन का चालीसवाँ भाग और नौकरी-व्यापार आदि से जो कमाई होती है उसका तीसवाँ भाग निवालकर ग्रामकोष का सप्रह बरना होता है। इसके साथ ही गाँव की कुल शक्ति, गाँव के हित में कैसे लगे, श्रम, वुद्धि और पूँजी के बीच कैसे सहकार पैदा हो, गाँव इसके लिए योजना बनाता है। और, इस प्रकार पूँजी का सवाल मुख्यत गाँव की शक्ति से हल हो इसकी शुरुआत होती है। यह पूँजी कर्ज, खेती, उद्योग, व्यापार, सहायता, सबके बाम आयेगी, और गाँव में शौष्ण-मुक्ति और आत्म निर्भरता की अर्थनीति का शुभारम्भ होगा।

(६) शहर का गाँव पर विविध आक्रमण—शहर की राजनीति, शहर की अर्थनीति, शहर की शिक्षानीति—गाँव

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

की बुद्धि, पूँजी, अम सब शहर की ओर—ग्रामदान, खादी, शान्तिसेना से गाँव की रक्षा। लोकनिष्ठ राजनीति, लोक-निष्ठ अर्थनीति, लोकनिष्ठ शिक्षानीति की नयी दिशा।

शहर और गाँव—आज दोनों की बुनियादी रचना गलत है। इसका परिणाम यह है कि गाँव की कृषि-औद्योगिक-सहवारी जीवन-पद्धति समाप्त हो गयी है। आज की अति केन्द्रित, उद्योगवादी, शहरी सम्पत्ता गाँव के जीवन पर हावी हो गयी है, और गाँव के जीवन में जो भूल्य थे वे तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं।

एक दुश्चक्ष चल रहा है। विरोधवादी राजनीति गाँव की बची-पुची एकता को खण्डित कर रही है। शहर के बड़े-बड़े उद्योग गाँव के छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को तो समाप्त कर ही चुके हैं, उससे भी आगे वे गाँव वे अधिक जीवन का पूरी तरह अपने नियन्त्रण में लेते जा रहे हैं। यही क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गाँवों का अस्तित्व मिट जायगा, वे भारी उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति (सप्लाई) करनेवाली इकाइयाँ मात्र रह जायेंगी।

जो शिक्षा आज चल रही है उससे नौकरी करने के अलावा छात्रों में कोई क्षमता पैदा होती नहीं, और नौकरी शहरों में है। इस प्रकार राजनीति गाँव को तोड़ रही है, अर्थनीति गाँव को चूस रही है, जिसके परिणामस्वरूप गाँव के अधिक और पढ़े-लिखे लोग शहर की ओर काम की तलाश में बेतहाशा दौड़ रहे हैं। ऐसी रचना बन गयी है कि पूँजी शहर में, अधिक शहर में, पढ़ा-लिखा मनुष्य शहर में—शहर, जिसकी रचना में मनुष्य और मनुष्य वे बीच मनुष्यता के आधार पर कोई सम्बन्ध नहीं होते।

शहर वी आज की रचना में मनुष्य वे जीवन में सहवारी जीवन पद्धति का विवास नहीं हो सकता। यह प्रत्यक्ष दीख रहा है कि पूँजीवाद और यन्त्रवाद मनुष्य को एक उपबरण मात्र बना रहा है, उससे अधिक बुछ नहीं।

गांव की जो कुछ भी जीवन-पद्धति थी जिसमें सहकार का कुछ अश था, वह समाप्त है। और आज वीं जो समस्याएँ हैं उन्हें केवल पूँजी या यन्त्रों की शक्ति से हल नहीं किया जा सकता। इसलिए आज फिर से कृषि-उद्योग के आधार पर सहवारी समाज-रचना की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य का मनुष्य के नाते सम्बन्ध स्थापित हो। वह अपनी समूर्ण प्रतिभा के साथ अपने अन्दर मनुष्यता का विकास करे, और केवल उपकरण मात्र बनकर न रह जाय।

इस नयी रचना के लिए वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति अनिवार्य है। ग्रामदान, खेती-खादी मूलक ग्रामीण अर्थ-रचना और जान्ति-सेना इस मुक्ति के माध्यम है। ग्रामदान से दल-निष्ठ राजनीति की जगह लोक-निष्ठ राजनीति, वर्ग-निष्ठ अर्थनीति की जगह लोक-निष्ठ अर्थनीति, और विशिष्ट समुदाय-निष्ठ सस्कृति की जगह लोक-निष्ठ सस्कृति का विकास होगा। आर्थिक, राजनीतिक और सास्कृतिक रचना वा केन्द्र 'लोक' होगा।

(७) यू० एस० एस० आर० (युनाइटेड स्टेट्स आव सर्वोदय रिपब्लिक्स) — ग्राम सभा . बुनियादी, स्वायत्त, आत्म-निर्भर इकाई—प्रखण्ड-सभा, जिलासभा, राज्यसभा, राष्ट्र-सभा, गांव से लेकर बिल्ली तक नयी व्यवस्था-भव दलमुक्त।

ग्रामदान से बुनियादी लोकतन्त्र की स्थापना होती है। सर्व की शक्ति, सर्व के हित के लिए सर्व की सम्मति से, ग्रामसभा के रूप में संगठित होती है। इस प्रकार ग्रामसभा आत्म-निर्भर, स्वशासित इकाई बनती है। ज्यो-ज्यो ऐसी इकाइयों की संघा, जो तेजी से बढ़ रही है, ग्रामदान से भी आगे, प्रखण्डदान के रूप में संगठित होती जायेगी, त्यो-र्यो गांधीजी वा सपना साकार होता जायगा कि लोकतन्त्र में मुख्य शक्ति 'लोक' वी होगी और सामुद्रिक बर्तुलों की तरह उसका विकास होगा। ग्राम-सभाओं से प्रखण्डसभा, प्रखण्डसभाओं से जिलासभा, जिलासभाओं से राज्यसभा,

और राज्यसभाओं से राष्ट्रसभा—इस तरह माँव से लेकर दिल्ली तक एक नयी दलमुक्त, लोकनिष्ठ व्यवस्था बायम होगी, और लोकतन्त्र वा आज का जो उल्टा स्वरूप है, वह बिलबुल बदल जायगा ।

(d) सरकार का दमन, बाजार का शोषण—इनसे बचें कैसे ? सामाजिक, आर्थिक तथा सास्थृतिक समस्याओं की चुनौती और प्रचलित प्रशासकीय और राजनीतिक तन्त्र की अक्षमता—पृत्यो और जिम्मेदारियों का प्रभासत्र पर विकेन्द्रीकरण आवश्यक—प्राम-सभा एक सबल, सर्वनिष्ठ माध्यम ।

सरकारी नौकरशाही का दुर्घटक लोगों के जीवन को छिन्न भिन्न और जर्जर कर रहा है । जन-जीवन के हर क्षेत्र में राज्य का प्रवेश है और जनता को हर बदम पर—धृष्टाचार तथा बेबसी का शिवार होना पड़ रहा है । यह लोकतान्त्रिक देश सबल और स्वतन्त्र नागरिकों का न रहकर रहा है । यह मजबूर लोगों का हो गया हो । सरकारी दमन की जैसे मुहूर्त तथा मजबूर लोगों का हो गया हो । कच्चा माल उपजाने-वाले किसान, भिन्नत करनेवाले श्रमिक तथा कलमजीवी, सब 'मालिको' के बाजार में बेभाव विक रहे हैं । इस परिस्थिति से मुक्ति कैसे हो ? छटपटाहट है, लेकिन कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है ।

विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन वह विज्ञान मनुष्य की क्षमता बढ़ाने और रुचिहीन उबानेवाले श्रम को दिलचस्प और आवर्णक बनाने में नहीं लगा है, बल्कि वह लाखों, करोड़ों हाथों को बेबार बनाने, शोषण की क्षमता बढ़ाने और सम्पन्नों के आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध बरने तक ही सीमित रह गया है । विज्ञान के विकास की इस दिशा के पारण जीविका के साधन घोड़े से मालिकों के नियन्त्रण में आ गये हैं । बाजार के नित्य नये आवर्ण जीवन के मूल्यों को तोड़ते जा रहे हैं ।

जीविका के आधार बाजार के नियन्त्रण में है, और जीवन की पदति

बाजारु विज्ञापनों के सचालन में है, इसीलिए समाज वा आर्थिक ही नहीं पूरा सास्कृतिक जीवन ही एक ऐसी चुनौती के सामने है, कि जहाँ से कोई नया मोड़ नहीं आया तो सामाजिक और वैयक्तिक जीवन का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जायगा ।

वेरोजगारी, धर्माचार, उपद्रव, पड्यन्त्र आदि के रूप में जीवन-मूल्यों का जो छिछलापन और रिक्तता प्रकट हो रही है, असामाजिक और अमानवीय मूल्यों का तीव्र गति से जो विकास हो रहा है, उसे हल करने, यहाँ तक कि कभी-कभी तो सामान्य शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने में भी प्रशासकीय अक्षमता प्रकट हो रही है । ऐसा होना बत्तमान राजनीतिक तन्त्र के बारण सहज-सा हो गया है ।

देश का इतना बड़ा केन्द्रीय और राज्यस्तरीय प्रशासन-तन्त्र समाज की जित्य प्रति वी समस्याओं का समाधान करने में असफल सिद्ध हो रहा है । राजनीतिक दलों को आपसी द्वन्द्व-युद्ध और सत्ता-प्राप्ति के लिए शतरज वी मुहर बिठाने से फुरसत नहीं है । ऐसी स्थिति में विविध समस्याओं वी चुनौती वा जवाब कौन दे ? एक उपाय है कि कृत्यों और जिम्मेदारियों का ग्राम-स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो । लेकिन अगर वह विकेन्द्रीकरण पचायतीराज वी तरह एक केन्द्रित राज्य-शक्ति की छोटी इकाई के रूप में होगा तो समस्या वा कुछ भी हल नहीं होगा, बल्कि उसके और उलझने की सम्भावना है, यद्योकि वह गाँव के बहुमत-प्राप्त कुछ लोगों का ऊपर से दिये गये अधिकारों पे आधार पर बना सगठन है । उसकी रचना और पढ़ति केन्द्रीकरण वी उसी दिशा वा एक अश है जिसमे चलकर सरकार समस्याओं को हल बरने मे असमर्य हो रही है ।

कृत्यों और जिम्मेदारिया वा वास्तविक विकेन्द्रीकरण सो ग्रामदान में ही होता है । ग्रामदान में गाँव के लोग सबको मिलाकर सबकी राय से जो ग्रामसभा बनाते हैं, वह ग्रामसभा विकास और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेती है ।

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

(६) लोकतन्त्र और समाजवाद का शुभारम्भ—
ग्रामदान पहला संगठित फदम—साझेदारी के जीवन (लाइफ
आब शेयरिंग) का प्रारम्भिक अभ्यास।

ग्रामदान से दो बातों की शुरुआत गाँव में प्रत्यक्षत होती है—

(१) गाँव के लोगों की चेतना जगती है और गाँव-समाज के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी का एहसास होता है। उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने के लिए ग्रामसभा के रूप में गाँव-समाज की शक्ति संगठित होती है। यह शक्ति गाँव के किन्हीं खास और कुछ लोगों की नहीं, बल्कि आम और सब लोगों वी होती है। इसे हम लोकशक्ति कह सकते हैं। यह लोकशक्ति सर्व के उदय के लिए सक्रिय व्यक्ति कह सकते हैं, अपनी धमता और पुरुषार्थ के भरोसे इसके लिए अपनी होती है, अपनी धमता और पुरुषार्थ के भरोसे इसके लिए अपनी व्यवस्था छढ़ी करती है। 'लोक' स्वयं अपने 'तन्त्र' को चलाये, इससे बढ़कर दूसरा लोकतन्त्र क्या होगा? आज का लोकतन्त्र तो केवल प्रतिनिधि-तन्त्र है।

(२) ग्रामदान में गाँव के लोगों की जीविका का जो प्रमुख आधार है भूमि, उसकी व्यक्तिगत मिल्कियत समाप्त होती है, पूरा गाँव-समाज गाँव की कुल भूमि का भालिक बनता है; भूमि का कुछ भाग उन लोगों को प्राप्त होता है जो भूमिहीन हैं, साथ ही हर व्यक्ति अपनी कमाई का एक अश गाँव-समाज के लिए देता है। इस तरह भूमि पर निजी स्वामित्व की जगह ग्राम-स्वामित्व होता है और पूँजी निजी की जगह सामूहिक होती है। गाँव की सामूहिक इच्छाशक्ति और सामूहिक पूँजी से गाँव की योजना चलती है।

इस प्रकार सबके उदय की लोकशक्ति प्रवट होती है जो लोकतन्त्र की बुनियाद है, जीविका के साधन पर समाज वा स्वामित्व स्थापित होता है, जो समाजवाद की बुनियाद है। ग्रामदान में जीवन वी साझेदारी का यह जो अभ्यास शुरू होता है वह लोकतान्त्रिक समाजवाद का शुभारम्भ है।

(१०) 'बहु' के स्थान पर सर्व की राजनीति, सर्व की अर्थनीति, सर्व की शिक्षानीति, सर्व की धर्मनीति, सर्व की समाजनीति—सर्व की सम्मति और सर्व की शक्ति से सर्व का हित, ऐसी जीवन-नीति ।

आज दुनिया में सामन्तवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रगतिशील ढाँचा अधिकाश देशों में अपनाया गया है । लेकिन वह प्रगतिशील ढाँचा भी विशिष्ट से 'बहु' तक आकर सीमित हो गया है । ग्रामदान उसे 'सर्व' तक पहुँचाने की प्रक्रिया है । 'सर्व' की सम्मति के आधार पर सगठित ग्रामसभा से 'बहु' की नहीं 'सर्व' की राजनीति, ग्रामकोष से 'साहूकारी' की अर्थनीति की जगह 'सर्व' की अर्थनीति शुरू होती है । गाँव के जीवन से धीरे-धीरे सरकार और साहूकार वी आवश्यकताएँ कम होती जाती हैं, गाँव ग्रामसभा के माध्यम से खुद क्रियाशील होता है । सर्व की सम्मति और सर्व की शक्ति से सर्व के हित की जीवन-नीति का क्रमशः विकास होता है ।

सर्व के उदय की इस प्रक्रिया में सबकी प्रतिभाओं, क्षमताओं और सबके अन्दर जीवन-मूल्यों का विकास करने के लिए सबकी शक्ति एक होकर सक्रिय होती है । एवं नये समाज वा निर्माण शुरू होता है ।

(११) स्त्री और मजदूर की मुक्ति-स्वतन्त्र नागरिकता ।
विभिन्न धर्मों के प्रति आदर भाव—समानता—सम्प्रदाय-
निरपेक्ष सौहार्द-अस्पृश्यता ।

ग्रामदान से सर्व के विकास की जो परिस्थिति बनती है, उसमें सबको जीने की समान भूमिका हासिल होती है । ग्रामसभा में स्त्री, और हरिजन मजदूर भी स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत रखते हैं । उनकी राय की उपेक्षा वरके कोई निर्णय ग्रामसभा नहीं लेगी । सर्वेधानिक नागरिकता-बोट देने का अधिकार—के बावजूद आज भी सामाजिक और सास्कृतिक मान्यताओं के बारण स्त्री का कोई स्वतन्त्र स्थान समाज में नहीं है,

मजदूर आर्थिक विवशता के कारण गुलाम है। प्रामदान से इन दोनों दलित समुदायों के लिए सामाजिक, सास्थृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की गुलामी से मुक्ति वा रास्ता पुलता है।

'सर्व' की जीवन-नीति में, जिसकी शुरुआत 'सर्व' की समान साझेदारी (पार्टिसिपेशन) से होती है, सब धर्मों के प्रति आदर-भाव तथा सम्प्रदाय और जाति-निरपेक्ष भाईचारे का सम्बन्ध सहज रूप से विवसित होगा।

(१२) जनता में व्यापक 'एपथी', 'डिनायल', 'इनर्शिया'-उसे सक्रिय बनाने वा उपाय प्रामदान।

स्वराज्य के बाद नये भारत से आम लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, सदियों से दबी जिन आवाकाशों वा उभाड़ हुआ था, उनको लेकर घोर निराशा ही हाथ लगी है। राजनीतिक दलों के आश्वासनों और थोथे नारों ने उसमें और दृढ़ि की है, दलों की गुटपरस्ती ने लोक-जीवन की अवशेष एकता को समाप्त कर दिया है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, और जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति अत्यन्त कठिन हो गयी है। स्वराज्य-प्राप्ति के अभियान में जो जनचेतना जागृत हुई हो गयी है। यही कारण है कि आज जनता में व्यापक उदासीनता (एपथी), अप्रवृत्ति (डिनायल) और जड़ता (इनर्शिया) व्याप्त है। उदासीनता के कारण लोग किसी चीज में रुचि ही नहीं लेते, जैसे उनको मतलब ही नहीं है। और, अप्रवृत्ति तो इतनी गहरी है कि बड़ी-से-उनको मतलब ही नहीं है। उसे समस्या हम मानते ही नहीं। जड़ता जीवन में बड़ी समस्या हो, उसे समस्या हम मानते ही नहीं। जड़ता के शिकार हो कुछ करने की यात सोचेंगे। हम इन सब रोगों के शिकार हो गये हैं।

देश की विरोधवादी राजनीति समय-समय पर उनके असन्तोष को जगाकर, क्षोभ वो उभाड़कर उपद्रव कराती है, और लोक-कल्याण के नाम पर जनता के रामने लुभावने चित्र पेश करती है। दोनों वा लक्ष्य

एक है सत्ता-प्राप्ति के लिए लोकप्रियता हासिल करने का, ताकि चुनाव में बहुमत उनका समर्थन करे। गाँव को, समाज को उसकी स्वतन्त्र शक्ति के आधार पर खड़ा करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। सबका एक ही नारा है 'हमें बोट दो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेगे।' समाजवादियों का 'समाज' लोकतन्त्रवालों का 'लोक', सब कुछ सत्ता में समा गया है। समाज या लोक की शक्ति इस परिस्थिति में क्षीण हो जाय तो आश्चर्य क्या है?

ग्रामदान ही आज एकमात्र कार्यक्रम है लोकतन्त्र के 'लोक' और समाजवाद के समाज को सचेत, सक्रिय और स्वचालित करने का; उनमें आशा और आत्मविश्वास भरने का। ग्रामदान में वादे नहीं हैं, तुरन्त उठकर कुछ करने की प्रेरणा है।

२. चित्र (इमेज) कैसे प्रस्तुत करें?

क. साहित्य द्वारा—

विचार और भावना की अभिव्यक्ति वा सबल माध्यम तो साहित्य है ही, व्यापक स्तर पर चेतना को जगाने और भावनाओं को सञ्चिय बनाने के लिए भी साहित्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लोकशिक्षण के लिए लोगों के स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थायी और प्रचार-गाहित्य वा निर्माण विद्या जाना चाहिए।

(१) स्थायी साहित्य—

विचार-प्रधान प्रन्थ। गांधी विनोदा के विचारों को भाष्य-टीका सहित प्रस्तुत करना होगा, उनको ऐतिहासिक सन्दर्भ में विचारा होगा, वर्तमान की अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं से जोड़ा होगा। वैज्ञानिक और सद्युक्तिक आधार पर इस युग की चुनौती वा उत्तर ग्रामदान है, इसे प्रस्तुत करना होगा।

(२) प्रचार साहित्य—

आम जनता के लिए फोल्डर्स, नोटिस, पोस्टर, चाट्स,

छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ आदि तैयार करनी होगी । स्थानीय समस्याओं
का अध्ययन, गौव के आर्थिक शोषण और स्थिगत उत्पीड़न तथा अन्य
दैनन्दिन समस्याओं का विश्लेषण करके लोक की चेतना जगानेवाली
मुलभ, गरल भाषा-दीली में साहित्य-चनना करनी होगी, प्रामदान
को नमाधान के रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

विभिन्न स्तर के लोगों के लिए 'प्रामदान क्या', 'प्रामदान यों',
'प्रामदान कैसे', 'प्रामदान से ग्राम-स्वराज्य' इत्यादि विषयों पर थोड़े
में प्रामाणिक जानकारी देनेवाली पुस्तिकाएँ तैयार करनी होगी,
प्रामदानी गौवों के लोग ग्रामस्याओं को स्वयं मिल-जुलवर हल कर सकें,
इसके लिए उनको मदद देनेवाली, पुस्तिकाएँ जैसे—'प्रामदान
का सगठन कैसे परे ?' 'बीघा-बट्टा कैसे निकालें ?' 'प्रामदान कैसे
इकट्ठा हो', 'झगड़े आदि गौव में ही कैसे निपटाये जायें', 'गौव के दिवास
की योजना कैसे बनायें', 'बेकारी निवारण कैसे ?' तैयार करनी
होगी । प्रामदान के पहले वो स्थिति, प्रामदान के बाद की स्थिति
का तुलनात्मक अध्ययन करके गौव की जानकारी के लिए छोटी
पुस्तिकाएँ तैयार करनी होगी ।

(३)

कार्यकर्ताओं के लिए—

'सर्वोदय विचार' पर चर्चा के बुल्ल मुख्य-मुद्द्य मुद्दे भी तैयार
करने होंगे, जैसे—'सर्वोदय का राजनीतिक दृष्टिकोण', 'विज्ञान,
यन्त्रीकरण और सर्वोदय', 'उद्योगों का केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण
क्या, क्यों ?' 'प्रामदान से लोकतान्त्रिक समाजबाद की स्थापना
कैसे ?' 'प्रामदान सरकार की शक्ति से बयो नहीं ?' 'प्रामस्वराज्य
और पचायती राज', 'सर्पं बनाम सहकार', 'दान' क्यों, 'कानून'
क्यों नहीं ?' 'तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं तथा घटनाओं के
के प्रति सर्वोदय का दृष्टिकोण क्या है ?' प्रामदान का काम करनेवाले
कार्यकर्ताओं के लिए जिला या प्रान्त के सगठनों द्वारा समय समय पर
इस दिशा के निर्देशक परिषत् तैयार करके भेजे जायें ।

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन से इस प्रकार वी कुछ पुस्तके प्रकाशित भी हुई है—जो 'गाइड-बुक' का याम बरेगी । जैसे—

(१) ग्रामदान	विनोबा
(२) चीन-भारत सीमा-संघर्ष	"
(३) वश्मोर के घारे में	"
(४) कुछ सामयिक प्रदर्शन	"
(५) चुनाव	"
(६) देश की समस्याएँ और ग्रामदान	जयप्रकाश नारायण
(७) ग्रामदान शका और समाधान	धीरेन्द्र भजूमदार
(८) ग्रामदान-निर्देशिका	मनमोहन चौधरी
(९) ग्राम-स्वराज्य का त्रिविधि कार्यक्रम	
(१०) गाँव-गाँव में अपना राज	
(११) ग्रामदान क्या है ?	
(१२) शान्ति-नोना क्या है ?	
(१३) गाँव भी यादी	
(१४) गाँव का विद्वाह	राममूर्ति
(१५) तमिलनाडु के ग्रामदान	वसन्त व्याग
(१६) आनंद वे ग्रामदान	"
(१७) बोरापुट के ग्रामदान	"
(१८) मध्यप्रदेश का ग्रामदान . मोहम्मदी	"
(१९) रायोदय-ग्रामयिकी—१, २, ३	

जहाँ तर राम्य हो, अपने सगठनों वे अलाया अन्य पत्र-पत्रिकाओं में और रेटिंगों से भी ग्रामदान वे यिचार का प्रदर्शन और प्रसारण हो, लोगों वे भान्दोलन की प्रगति श्री प्रामाणिर जानरारी मिले, ऐसी बातिज होती थाहिए ।

रद. सम्पर्क द्वारा—

प्रमुख स्वित्रों ने गान्धी, टोल्सोनी, ईमगमा, थोर्नस्ट्रेन्स

वादि के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों के पास स्पष्ट विचार पहुँचे, इसका प्रयास करना चाहिए। पढ़ाना से व्यापक प्रचार सम्भव होता है। सधन विचार प्रचार और शिक्षण के लिए सीमित क्षेत्रों में शिविर, परिसराद, प्रदर्शनी, लोकमंच (संगीत, नाटक आदि) के आयोजन अत्यन्त उपयोगी होंगे। अपनी पत्र-पत्रिकाओं के पाठका तथा खादी प्रेमियों का इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने की कोशिश होनी चाहिए। सम्पर्क और विचार-प्रचार की दृष्टि से कुछ बातें विशेष ध्यान देने की हैं—

हम जिनके द्वीच विचार-शिक्षण का काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा सचार (बम्यूनिकेशन) सक्षम हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि—

- १ किसी व्यक्ति या समूह ने सामने जो विचार जिस व्यक्ति, पुस्तक पा अन्य किसी लोग से पहुँचाया जाय, वह (लोग) उसकी नजर में प्रामाणिक और विश्वसनीय हो,
- २ एक बार में लोग जिनका समझ सकें उतना ही कहा जाय, पूरी बात एक साथ कहने से पहले में नहीं आती,
- ३ एक बार कह देने से ही सन्तोष न माना जाय, बार-बार वहा जाय। विचार को प्रामाणिक बनाने के लिए सही, सिद्ध, प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किये जायें,
- ४ विचार को स्थानीय और सातकालिक समस्याओं पे समाधान के रूप में प्रस्तुत बरने पर विचार के प्रति आवर्यण बढ़ता है,
- ५ इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिस प्रदर्शन से सम्बन्ध रखनेवाला विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रदर्शन पर लोगों वे मन में पहले से क्या विचार है, ताकि हम अपना विचार उस सन्दर्भ में रख सकें। इससे गुननेवालों वो रचि बढ़ती है,
- ६ हरएव की अलग-अलग भूमिया होती है। जोई तर्ज से प्रभावित होता है, जोई भावना से, जोई किसी अन्य पहलू से। व्यक्तिगत

सम्पर्क और चर्चा में, जिस व्यक्ति से चर्चा करनी है, पहले उसके मनोभावों वो समझना चाहिए,

७ प्रयत्न रहे कि विचार मनुष्य के विवेक को छूए, उसकी सामाजिक चेतना को जगाये और उसको सही निर्णय की प्रेरणा दे, न कि हमारी बल्पना, विचार या प्रभाव उसके ऊपर हूँवी हो जाय ।

ग. तात्कालिक स्थानीय समस्याओं को माध्यम बनाकर—

बाढ़, आगजनी, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप के अवसरों पर सहानु-भूतिपूर्वक प्रकोपग्रस्त लोगों की सेवा, सामाजिक प्रक्षोभ—साम्राज्यिक दर्गे, सथा अन्य प्रकार के प्रदर्शनों आदि के अवसर पर शान्ति और सन्तुलन कायम करने की चेष्टा, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों आदि की प्रतारणा और राजनीतिक दलों की गुटबन्दी, और जातीयता आदि को उभाड़नेवाले कार्यक्रमों के अवसर पर लोगों के अधिकाधिक निकट जाने और भौतीपूर्ण बातावरण बनाकर सामूहिक लोक-चेतना जगाने तथा समर्थित बरने की बोशिश करनी चाहिए । इन तात्कालिक और स्थानीय समस्याओं पे समाधान में लगने पर लोगों की भावना हमारे अनुकूल होती है । ●

ग्रामदान : प्राप्ति (लोक-निर्णय) : २ :

१. ग्रामदान की शर्तें, और कुछ प्रश्न :

ग्रामदान की शर्तों को लेकर गाँव के लोग, खास तौर पर वहे गाँवों के लोग, तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ग्रामदान के विचार को अच्छी तरह समझें, लोगों के प्रश्नों का सही उत्तर दें, ताकि उनके मन के भय और शकाएँ दूर हो और उन्हें विश्वास हो जाय कि आज की दुखपूर्ण स्थिति से मुक्ति का एक ही मार्ग है—ग्रामदान।

ग्रामदान को लेकर वई सवाल उठते हैं। उनमें से कुछ ये हैं

(क) अगर गाँव दूसरी शर्तें मान ले तो क्या स्वामित्व-विसर्जन की शर्तें फिलहाल छोड़ी या हल्की नहीं की जा सकती ?

जाहिर है कि अगर स्वामित्व-विसर्जन की शर्तें शुरू में हल्की करदी जाय तो 'ग्रामदान' की सद्या बहुत बढ़ जायगी, लेकिन सोचना यह चाहिए कि ऐसा करना क्रान्ति वी दृष्टि से कहाँ तक उचित होगा। स्वामित्व के प्रश्न को लेवर गाँववालों की जिज्ञासा स्वाभाविक है। आज के समाज को, जो सत्ता और सम्पत्ति को ही सब कुछ मानता है, देखकर भूमि वा स्वामी सोचता है कि क्या स्वामित्व ग्रामसभा वो देवर वह सुरक्षित रह सकेगा ? लेकिन आज स्थिति यह है कि भूमिहीनों को क्या कहा जाय, कुछ थोड़े वहे मालिकों वो छोड़कर याकी मालिक मालिकी रखते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं, पर मनुष्य वा स्वभाव ऐसा है कि परिचित बुराई अपरिचित अच्छाई से अधिक अनुकूल मालूम होती है। गाँववालों वे मन वी यही गौठ तो खोलनी हैं। इस गौठ के युलते ही आज के गाँव की जगह एवं नये गाँव का

जन्म हो जाता है; पड़ोमी का पढ़ोसी के प्रति भाव बदल जाता है। हम सब जानते हैं, और जो लोग गौवो में काम करते हैं ये दिन-रात देखते हैं, कि गौव में रहनेवालों के मन में प्राम-भावना नहीं है, इसलिए गौव का कोई काम मिलकर नहीं हो पाता। गच तो यह है कि हरएक अपने और अपने परिवार के घारे में सोचना है, गौव यी किक किसे पढ़ी है? और, यह प्राम-भावना मालिकी के रहते चलनेवाली नहीं है। स्थामित्य के पारण गौव में तरह-तरह की दीवालें घड़ी हो जाती है—मालिक-मजदूर के बीच, मजदूर-मजदूर के बीच, और स्वयं मालिक-मालिक के बीच। ये दीवालें दिलों को जुटने नहीं देती। हरएक का हृदय ईर्ष्या और प्रतिश्वन्दिता की आग से जला रहा है। गौव में जो भी साधन है, जो भी पूँजी, बुद्धि और खम-खरिक है, उम गवका इस्तेमाल एवं नूसरे को गिराने में होता है, न यि मिलकर गवाओ उठाने में। नित्रो मालिकों से उत्पादन के साधनों का मदुरयोग नहीं हो पाता, और मालिकी शोषण और मुनाफाप्तोरी को जन्म देती है जो समाज की तबाही का पारण बनती है। इसलिए यह मान किना चाहिए कि स्थामित्य-विग्रंन हमारी ऋन्ति का प्राण है। पोई भाज माने पा कह, केविन स्थामित्य-विग्रंन की यात्र हम छोड़ नहीं सकते। अगर सम्पत्ति का स्वेच्छा गे विग्रंन न हुआ तो इस देश को स्थापना पैमाने पर मरने की आग में ज़रूर में बैंगे बचाया जा गरेगा? इसलिए

अनुमति आवश्यक हो पा जरो केवल सूचना दे दी
जाय ?

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि जब तक खेती परिवार की है—
न सहकारी है, न सामूहिक—तब तक परिवार को छूट होनी चाहिए कि
कर्ज के लिए अगर वह अपने कट्टजे की जमीन सरकार या सहकारी समिति
(कोआपरेटिव मोसाइटी) के हाथ विक्री करना या बन्धक रखना चाहे तो
आजादी के साथ ऐसा कर सके, और ग्रामसभा को केवल सूचना दे दे ।
यह ठीक है कि परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुसार कर्ज मिलना
चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि सही काम के लिए वर्ज लिया जाय
और उसे सही ढग से खर्च किया जाय । ग्रामसभा के सिवाय यह कौन
देखेगा कि सही कर्ज का सही इस्तेमाल हुआ ? ग्रामदान में शारीक होने-
वाले परिवार गाँव में स्थित अपनी बुल जमीन की मालिकी ग्रामसभा को
सौंपते हैं । जमीन के खाते परिवार-परिवार के नाम न रहकर एक हो जाते
हैं—ग्रामदानी गाँव का एक खाता ग्रामसभा के नाम से । ग्रामसभा
इकट्ठा सरकार को लगान देगी । ग्रामसभा परिवारों वो जानेगी
लेकिन सरकार केवल ग्रामसभा को जानेगी, रजिस्टर्ड संस्था होने के
नाते उसीवो कर्ज, सहायता आदि देगी । ग्रामसभा विकास की योजना
बनायेगी, और योजना के अनुसार काम के लिए आवश्यक साधन आदि
जुटायेगी । ऐसी हालत में यह उचित ही नहीं, जरूरी है कि जमीन वो
देचने या बधक रखने के लिए ग्रामसभा की अनुमति ली जाय । वर्ज
का कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा, और वर्ज जहरी होगा, तो ग्रामसभा
अनुमति नहीं देगी, ऐसा मानने का क्या कारण है ? और अगर ग्रामदान
के बाद गाँव वी नयी व्यवस्था में ग्रामसभा का इतना स्थान भी नहीं होगा
तो वह गाँव की सामूहिक शक्ति वा आधार और विकास का माध्यम
‘नहीं बनेगी ?

(ग) भजदूर को किसान बनाने से गाँव की उत्पादन-पहुँच
पर क्या असर होगा ?

हम लोग कहते हैं कि ग्रामदान से भूमिहीन को भूमि मिलेगी और खादी-ग्रामोद्योग से धन्या मिलेगा, भले ही बीवा-बट्टा से तुरन्त इतनी भूमि न निकले कि हर भूमिहीन को मिल जाय। लेकिन मालिक आगे देखता है, और सोचता है कि अगर मजदूर को भूमि और धन्या मिल गया तो वह हाथ से निवल जायगा, और उसकी खेती के लिए सस्ता थम नहीं मिल सकेगा। आज की खेती हो ही रही है इस आधार पर कि मालिक ने मजदूर को बाँध रखा है—कर्ज देकर, जोतने के लिए कुछ थोड़ी भूमि देकर, समय-समय पर कुछ मदद देकर, आदि। वह नहीं चाहता कि मजदूर की हैसियत बदले।

कुछ थोड़े से बड़े मालिकों को छोड़कर बाकी मालिकों के लिए मजदूर-खेती घाटे का सौदा है। मालिक और मजदूर का सम्बन्ध इतना बिगड़ गया है कि मजदूर कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-ज्यादा दाम लेना चाहता है, और मालिक कम-से-कम दाम देकर ज्यादा से-ज्यादा काम लेना चाहता है। एक काम की चोरी करता है, दूसरा दाम बी। नतीजा यह होता है कि मालिक मजदूर में ऐसा सम्बन्ध होने के बारण अच्छी खेती नहीं हो पाती, और दोनों को परेशानी और गरीबी की जिन्दगी वितानी पड़ती है। दोनों इस सम्बन्ध से ऊबे हुए हैं, लेकिन वरे क्या, सूझ नहीं रहा है। ग्रामदान उन्हें रास्ता बता रहा है। वह रास्ता क्या है? बीघा-बट्टा तो प्रतीक है जिससे आज का भूमि-मालिक इस मान्यता की धोषणा बरता है कि आज जो भूमिहीन है उसे भी धरती-माता की सेवा करने का अधिकार है। आज का समाज उसके इस अधिकार वो नहीं मानता। ग्रामदान में यह अधिकार तो मान्य हो जाता है, लेकिन जब ग्रामसभा बैठेगी, और गाँव में हरएक के खाने-बपड़े की चिन्ता करने लगेगी, तो गाँव का हर व्यक्ति सोचेगा, मुख्य रूप से भूमिवान सोचेगे, कि विस तरह उन सब परिवारों को, जिनके पास रोज़ी का कोई दूसरा समुचित धन्या नहीं है, और जो खेती बरना चाहते हैं, जमीन मिले। यह जिम्मेदारी ग्रामसभा वो उठानी ही पड़ेगी। जिसके पास जमीन है वह स्वेच्छा से अधिक

देगा। ग्रामदान में गाँव के विकास की जो योजना है उसना सही रूप जैसे-जैसे प्रवट होगा गाँव एक परिवार बनता जायगा जिसमें शबको मिलवर मवली चिन्ता करनी पड़ेगी।

मान लीजिये सबको भूमि का एक टुकड़ा मिल गया, और सबके घर में धन्धा पहुंच गया—चरणा सो तुरल्त पहुंच सकता है—तो येती वैरो होगी? तीन तरीके हैं। एक, हर परिवार अपनी-अपनी येती वरे, और आपसी मेल के आधार पर परिवार आपस में श्रम-सहकार वरे। दो, छोटे गाँव में पूरे गाँव की, या बड़े गाँव में कुछ परिवारों की टोलियों द्वारा, सहवारी येती हो (जिसमें खेत अपना होगा लेबिन येती मिलवर होगी की, सहवारी येती का खर्च बाटवर भूमि के हिसाब से अनाज या बैटवारा हो और येती का खर्च बाटवर भूमि के हिसाब से अनाज या खेती भी जायगा)। तीसरा, सामूहिक येती होगी—येत भी सबका, येती भी सबकी, अनाज भी सबका लेबिन अनाज में सबका अलग-अलग हिस्सा। सबकी, अनाज भी सबका लेबिन अनाज में सबका अलग-अलग हिस्सा। गाँव में जिन परिवारों को जो पढ़ति अच्छी लगे वे उसे अपनायें। हर हालत में ग्रामसभा अपने को प्रेषण से खेती के लिए सुधरे यन्त्र, खाद, अच्छे बीज, दवा, सिचाई आदि की व्यवस्था करेगी। गाँव खुद निर्णय वरे कि वह येती की बौन सी पढ़ति अपनायेगा। यह भी हो सकता है कि परिवारों वह येती की बौन सी पढ़ति अपनायेगा। यह भी हो सकता है कि परिवारों के अलग अलग निर्णय से एक ही गाँव में कोई दो या तीनों पढ़तियां साथ-साथ चलें। कोई भी पढ़ति अपनायी जाय, तुरल्त मजदूरों का मिलना बन्द हो जायगा, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, यह जरूर है कि धीरे धीरे श्रम-सहकार, यानी मिलकर एक-दूसरे के खेत में काम करने की पढ़ति विकसित वरनी पड़ेगी।

जब येती के नये, सुधरे यन्त्र हांगे तो श्रम-सहकार बहुत आसान हो जायगा। आज भी कई जगह गने की गोडाई तथा दूसरे कई काम इसी पढ़ति से होते हैं। श्रम-सहकार ही सबसे स्वस्थ पढ़ति है, इसमें आपसी सम्बन्ध भी अच्छे-से-अच्छे रहेंगे, और उत्पादन भी अधिक से-अधिक होगा। लेबिन उसके पहले भी मजदूर को साझेदार बना लेना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि किसान के खेत में सामान्य (नार्मल) से अधिक जो उत्पादन

हो उसका बैटवारा हो । आपस में तय हो जाय कि वितना भाग श्रमिक वा हो और वितना मालिक वा ।

इसी तरह घटाईदारी ग्रामसभा के द्वारा सामूहिक तौर पर हो सकती है ताकि किसान और घटाईदार दोनों को उचित लाभ हो, और सम्बन्ध भी बने रहें ।

महत्य है कि अगर हमारे देश को आज की दुनिया में जीवित रहना है, और भेड़िया की तरह एक-दूसरे को नाच-नोचकर या नहीं जाना है, तो वाम न करने का जो सत्कार दिमाग में घुसा हुआ है उस निवालना ही पढ़ेगा । यह असम्भव है कि कुछ थोड़े लोगों की मेहनत से पूरे देश पा पेट भरे । ये हजारों ग्रामदान जिस दिन ग्रामसभाएँ बनापर अपनी समस्याओं पर विचार करना शुरू करेंगे उस दिन उन्हें पता चलेगा कि आज की शिक्षा वितनी निकम्मी है, उसी दिन गाँव गाँव से नयी तालीम की माँग उठेगी, और हर हृदय में यह बामना जगेगी कि हर व्यक्ति शक्तिभर श्रम करे, और सब आपस में श्रम सहकार कर । थोड़े से पेशेवर मजबूर मजदूरों के भरोसे खेती कर तक चलेगी, और वैसे मुघरेगी ?

जब लोगों के सामने ग्रामदान का यह भव्य चित्र आयेगा तो मन से भय निकल जायगा, और लोग समझने लगेंगे कि अलग अलग परिवार जीवन की लडाई में हारेंगे—हार तो वे रहे ही हैं—लेकिन मिलकर बाम करेंगे तो सब जीतेंगे ।

(घ) थोड़े दुकड़े कितने भूमिहीनों को मिलेंगे ?

बाकी भूमिहीनों से क्या कहें ?

जाहिर है कि बीघा बहु में मिले दुकड़े सब भूमिहीनों को नहीं मिलेंगे । भूमिहीनता मिटाने, सबको रोटी रोजी देने का सवाल है ल बरने की जिम्मेदारी ग्रामसभा को ही लेनी होगी । हर व्यक्ति को, जो खेती करना चाहता है, जमीन मिलनी चाहिए फिर वह चाहे जिस पद्धति की खेती करना तय करे । कोई तक देवर किसीको भूमि से बचित नहीं रखा जा सकता ।

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

४४

भूमि का प्रबन्ध गाँववालों के मिलकर करने से ही होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि केवल खेती से गुजर होना सम्भव नहीं है, इसलिए हर परिवार को उद्योग भी देना पड़ेगा—वह उद्योग जो आंगन में चले, गाँव में चले और जिसका खेती से मेल बैठे। इस तरह ग्रामदान हर या क्षेत्र में चले और जिसका खेती से मेल बैठे। इस तरह ग्रामदान हर गाँव और हर परिवार को कृषि-आद्योगिक (ऐयोइडस्ट्रियल) बनाने की दिशा में पहला कदम है। जब तक खेती और उद्योग की समन्वित योजना गाँव-गाँव में नहीं चल जाती तब तक ग्रामसभा को, प्रखण्डसभा को, और सरकार को मिलकर यह स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि जो आठ घण्टे काम करने वो तैयार हो उसे भोजन और वस्त्र की गारटी रहे। यह गारटी दी जानी चाहिए, और दी जा सकती है। हाँ, उसके लिए विकास की मौजूदा रीति-नीति को बुनियाद से बदलना पड़ेगा। ग्रामदान उस परिवर्तन का ही तो आनंदोलन है, और ग्रामसभा उसका माध्यम। यही एक ऐसा आनंदोलन है जो भूमिहीन को गाँव, सेवा संस्थाओं और सरकार की चिन्ता और चिन्तन का विषय बना रहा है, उसे दूसरों के साथ समान है-स्थित का नामिक बना रहा है, और बार-बार घोषणा कर रहा है कि जिसके पास श्रम है उसे खाने, पीने और जीने का उतना ही अधिकार है जितना उसे जिसके पास सिक्का है। लेकिन ग्रामदान विसी-की मालिकी नहीं मानता—न सिक्केवाले की, न श्रमवाले की। कान्ति का यह स्वर्णिम स्वरूप गाँववालों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (यह न कहा जाय कि जब पेट खाली हो तो कान्ति की बात नहीं सुनी जाती। मुनी जाती है, और खूब सुनी जाती है। सामने के भविष्य की स्पष्ट रेखाएँ बचित मानव में जो आशा पैदा वरती है उनमें विलक्षण सजीवनी शक्ति होती है। आज तक वीं कान्तियों ने मजदूर को नारो और सघर्षों के जगल में ले जावर छोड़ दिया है। वह भटकता रहा है, और अन्त में खो गया है। अब पहली बार वह अपनी ही नहीं, अपने पडोसियों वीं भी मुक्ति में साझीदार बन रहा है। यह बात उसे बतानी चाहिए।

(इ) मालिक-मजदूर के बीच की खाई ग्रामदान से ही खत्म होगी !

किसी-किसी गाँव में यह अनुभव आता है कि भूमिवान ग्रामदान के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भूमिहीनों में से कुछ, या कही ज्यादा भी, तैयार नहीं होते, या टालमटोल करते हैं। देखने में यह बात बेतुकी मालूम होती है, क्याकि हम मानते हैं कि ग्रामदान में भूमिहीन को देना क्या है, उसे तो पाना ही पाना है, फिर उसे ग्रामदान से क्यों पिछड़ना चाहिए ? यो तो ग्रामदान में हरएक को देना है, और हरएक को पाना है, लेकिन भूमिहीनों को वही-कही जो भय होता दिखायी देता है—यद्यपि भय न व्यापक है, और न टिकनेवाला—उसके कारण स्पष्ट है। तरहन्तरह की बाते कहकर उनसे झेंगूठे का निशान लिया गया है, दस्तखत कराया गया है, उनकी जमीनें छीनी गयी हैं, वर्ज की नालिश की गयी है, वे मुकदमे में फैसाये गये हैं। यह सब हुआ है, और आज भी हो रहा है। फिर कैसे मजदूरों वो विश्वास हो कि ग्रामदान का कागज मालिकों का मन साफ कर देगा ? सचमुच मालिक और मजदूर के बीच की खाई इतनी जबरदस्त है कि दोनों को नये सिरे से विश्वास के धारे में बाँधना आसान नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर दोनों वा एक-दूसरे के प्रति दिल साफ न हुआ तो गाँव को बचाना असम्भव है। ग्रामदान का अनुभव बता रहा है कि भले ही शुरू में कुछ भूमिहीन आनाकरनी करे, लेकिन समझाने पर समझ जाते हैं, और एक बार समझ जाने पर पीछे नहीं हटते, और कुछ तो यही उदारता और उत्साह वे साथ बाम करते हैं।

(च) सर्वसम्मति और सर्वानुमति या व्यावहारिक स्वरूप
यथा होगा ?

ग्रामसभा का विचार आवर्पक है, लेकिन विरोध और वैमनस्य से जर्जर गाँव में सर्वसम्मति या सर्वानुमति से कोई निर्णय होगा कैसे ? यात-यात में लडनेवाले गाँववालों को इसका अभ्यास कैसे कराया जायगा ?

जैसे-जैसे ग्रामदान की हवा बनती जा रही है, और ग्रामदान वे बाद प्रखण्डदान और अनुमण्डलदान होते जा रहे हैं, (और अब जिलादान की तैयारी हो रही है) वई बातें जो असम्भव मालूम होती थी अब सम्भव मालूम होने लगी है। लोगों में यह प्रतीति पैदा होती जा रही है कि 'गाँव' एक है, और एकता से ही वह बच सकता है। एकता की भावना ज्यो-एक है, और एकता से ही वह बच सकता है। ज्यो बड़ेगी आदमी का दिमाग जाति, दल, बर्ग से ऊपर उठकर पूरे 'गाँव' की बात सोचेगा। ग्रामदान से गाँव में ग्रामसभा के द्वारा जो व्यवस्था बायम होगी उसमें सबकी रुचि होगी क्योंकि उसके हाथ में दो चीजें ऐसी होगी जिनसे सबका स्वार्थ जुड़ा होगा—एक, ग्रामबोप, दूसरी जमीन। स्वार्थ की रक्षा के लिए ग्रामसभा का ठोम सगठन और उसकी पूर्ण सश्रियता को बनाये रखना जरूरी है, इसलिए भी ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का जोर रहेगा कि वह टूटने न पाये।

आज गाँव में लडाई क्यों होती है? दो कारण मुख्य हैं—एक, चुनाव, दूसरा, जमीन की मालिकी, और उससे उठनेवाले सवाल। एक बार चुनाव का सिलसिला खत्म हो जाय, और जमीन का खाता ग्रामसभा के नाम हो जाय तो जगड़े के दो सबसे बड़े कारण समाप्त हो जायेंगे और, इन कारणों के समाप्त होने पर जगड़ा लगानेवाले भी नहीं रह जायेंगे।

पुलिस-अदालत में गाँव के जगड़े न जायें, यह कोशिश गाँव के लोगों को आपस में जोड़ेंगी। ग्रामदान के बाद ग्रामसभा बन जाने पर शान्ति का बातावरण बनेगा, और एक ऐसा नेतृत्व विकसित होगा जो शान्ति बनाये रखने का प्रयत्न करता रहेगा। गाँव का बुरा-से-बुरा आदमी हो, वह गाँव के प्रबल बहुमत के मुकाबिले नहीं टिक सकेगा।

ग्रामसभा स्वयं एक बड़ी रचनात्मक शक्ति होगी। फसलों परी रक्षा, जगड़ों का निवारा, कर्ज की सुविधा, विवास के काम, जब सब उसकी ओर से होंगे तो उसे सबकी भक्ति मिलेगी, और सब मिलकर उन्नति की बात सोचेंगे। खेती, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आदि को

लेकर मामूली मतभेद भले ही हो जायें, लेकिन विरोध और सधर्य की नीवत वयो आयेगी ? [मतभेद हो तो हर्ज भी नहीं, लेकिन विरोधवाद और सधर्य को टालना चाहिए] गाँव की नयी व्यवस्था और बातावरण में इनको टालना आसान होगा, वयोविं जीवन के बुनियादी सवाल सबके लिए समान होंगे ।

इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है । पहली बात यह है कि ग्रामसभा के अध्यक्ष, मन्त्री और वार्य-समिति वे सदस्यों के चुनाव में सर्वसम्मति का आग्रह रखा जाय । विसी हालत में ग्रामसभा बनाने की जल्दी में वहुमत से चुनाव न कराया जाय । अनुभव आ रहा है कि सर्वसम्मति का आग्रह सफल होता है । समझीते से रास्ता न निकले तो निर्णय लाटरी डालकर बिया जाय ।

दूसरी महत्त्व वी बात यह है कि जो लोग ग्रामदान में शामिल नहीं हैं उनके साथ दुराव की नीति न वरती जाय । ग्रामसभा में तो वे सदस्य रहेंगे ही, लेकिन इस नाते उनके प्रति हर बात में उदारता वरती जायगी तो बहुत जल्द वे ग्रामकोष और बीघा-बट्ठा में भी शरीक हो जायेंगे, और महगूस बरेंगे कि ग्रामदान में उनका हित है, अलग रहने में नहीं है । गाँव के घोड़े से लोग 'तूफान' के मुकाबिले वय तय ठहर सकेंगे ? लेकिन नीनि उन्हें दबावर नहीं, बल्कि प्रेम से अपने में मिलाने की होनी चाहिए ।

यह सब होने पर भी सम्भव है कि आपसी रगड़े-शगड़े वे बारग मी में दोन्हार ग्रामसभाएं लैंगडी-न्हूली नियम जायें । इससी चिना नहीं परन्ती चाहिए । द्रुमरी ग्रामसभाएं और स्वयं प्रयुण्डगमा उन्हें रास्ते पर लाने का बाम बरेंगो । अन्त में हारने पर ग्रामदान-बाबून में उनके 'गुप्तरेशन' भी गुजाइया रखयी गयी है । लेकिन इस गद्यमें बही शब्दिय समय वे प्रयाह में हैं ।

२. ग्रामदान : एक जन-आनंदोलन या मात्र कार्यक्रम ?

ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी और शान्ति-सेना तीनों को मिलाकर ग्राम-स्वराज्य का चित्र पूर्ण होता है। इनमें ग्रामदान बुनियाद है जिसके आधार पर खादी और शान्ति-सेना खड़ी होती है। ग्रामदान से गाँव सचमुच गाँव बनता है, ग्रामदान में गाँव अपने 'स्व' को पहचानता और अपनी मुक्ति की धोषणा करता है। मुक्ति किससे ? अभाव से, अज्ञान से, अन्याय से। इतना ही नहीं, राज्य, पूँजी तथा शस्त्र की उन तमाम शक्तियों से मुक्ति इमान छीन रही है, उसे पगु और कुठित बना रही है। एक ओर जमाना मनुष्य के मन में मुक्ति की नयी उमरें भर रहा है, तो दूसरी ओर वह देख रहा है कि राज्य, जिसके सरकार में उसने नागरिकता की चेतना विकसित की, और शस्त्र जिससे उसने अपने को सुरक्षित समझा और पूँजी जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक उत्पादन का आधार बनी, वे तीनों शक्तियाँ आज उसके विकास के मार्ग में सबसे जबरदस्त बाधाएँ बन रही हैं। इसलिए नागरिक की वास्तविक लडाई राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद से मुक्ति की लडाई है। ग्रामदान से गाँव इस अभियान में मुक्ति वा पहला मोर्चा बन रहा है, और ग्रामसभा उसका माध्यम। इसलिए ग्रामदान एक व्यापक जन-आनंदोलन है; ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे छोड़कर शेष कार्यक्रमों को पूरा कर लिया तो बहुत बिगड़ा नहीं। अगर ग्रामदान के द्वारा गाँव की सामूहिक इच्छा-शक्ति न प्रकट की गयी तो दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए कोई आधार ही नहीं मिलेगा।

(क) यतंमान स्थिति : ग्रामदान में तूफानी गति न आने के कारण

अब धीरे-धीरे हमारे इस आनंदोलन की ऐसी स्थिति बन रही है कि वह जन-आनंदोलन के बरीब पहुँच रहा है। जहाँ-जहाँ ग्रामदान का काम अधिक है वहाँ नये लोग—स्वयं ग्रामदानी गाँवों के लोग—सामने आ रहे हैं और धीरे-धीरे आनंदोलन की चेतना व्यापक हो रही है, फिर भी अभी तक बायं,

कर्ता और कोप तीनों की दृष्टि से, ग्रामदान का वाम मुख्य रूप से रचनात्मक स्थायी तथा मिश्रों के ही भरोसे चल रहा है। उसे पूर्ण रूप से जन-आनंदोलन का रूप देना चाकी है। उसकी एक कसौटी यह है कि ग्रामदान ऐसे लोगों के द्वारा चले जिनकी जीविका की अलग से चिन्ता न करनी पड़े। गहराई से देखने पर हमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं :

(१) विरोध : किसका, किस तरह का, किस कारण से ?

मुख्य तौर पर विरोध के पांच स्रोत हैं—बड़े मालिक, महाजन, दलों के 'स्थानीय' नेता, सरकारी कर्मचारी, स्वयं भूमिहीन। जगह-जगह इनमें से एक या एक से अधिक का विरोध—बहुत खुला नहीं, अन्दर-अन्दर—होता है, लेकिन जब से प्रखण्डदान की हवा वही है, बात बहुत बदलती जा रही है। अगर हम अपनी ओर से अविरोधी नीति रखेंगे तो विरोध कम होगा ही। हमें यह भूलवार काम करना है कि कोई हमारा स्थायी विरोधी है। हम समाज वो शोपक और शोपित इन दो वर्गों में नहीं विभाजित करते। हमारी मान्यता यह है कि सब दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, इसलिए मुक्ति के लिए उत्सुक हैं।

विरोध के मुख्य बारण हैं : लिप्सा और अज्ञान। ग्रामदान किस तरह की ग्राम-व्यवस्था और समाज-व्यवस्था की कल्पना करता है, इसके बारे में सही जानवारी न रहने के कारण जो विरोध होता है उसे दूर करना हमारा काम है। सही जानवारी होने पर जब लोग आश्वस्त हो जायेंगे विं सर्वोदय की व्यवस्था में 'सर्व' के लिए स्थान है, इसमें न सधर्य है, न सहार, तो भय भी बहुत कुछ दूर हो जायगा। लोभ वे बारण होनेवाला विरोध सबसे विकट है। ऐसे नये लोग जो सत्ता में घुसना चाहते हैं, या जो प्राप्त सत्ता में आज वी तरह बने ही रहना चाहते हैं, या विसी-भी-तरह धन बमाकर 'बड़ा' बनना चाहते हैं वे समझकर भी नहीं समझते, और तरह-तरह वी सिद्धान्त

प्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

ग्रामदान : प्रधान, वा... की बातें बरवे अपने मन की बात को छिपाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ धैर्य रखने वी जरूरत है। हम देखेंगे कि ग्रामदान वी हवा घनती जायगी तो इनवा 'कुटिल विरोध' प्रभाव खोता जायगा।

बनती जायगा ता इनप। उआउ...
प्रखण्डदान की भूमिका में अब यह जरूरी हो गया है कि हम
ग्रामदान ऊपर से शुरू करे। प्रखण्ड के प्रमुख व्यक्ति, पचायत के
प्रमुख व्यक्ति, गाँव के प्रमुख व्यक्ति—हमारे प्रवेश का यह क्रम हो।
प्रवेश का यह क्रम व्यावहारिक है। अब हमें साहस वरके गाँव के
‘बड़ों में घुसना चाहिए। ‘बड़ों के अनुकूल हो जाने से शेष विरोध
दूर हो जायेंगे।

(२) सामान्य जनता की उदासीनता—

(२) सामान्य जनता पर उदाहरण है। सामान्य जनता उदासीन है, निष्क्रिय है, निराश और निष्प्राण है। उसे किसीकी नेकनीयती में विश्वास नहीं है। उसे हालत सुधरने की आशा नहीं रह गयी है। उसे अपनी शक्ति में भरोसा नहीं है। लेकिन आन्दोलन की हवा उनकी मनोवृत्ति (ऐटीट्यूड) को प्रभावित कर रही है। ग्रामदान की दो बातों से रुप तेजी से बदलेगा। एक, बीघा-बट्टा का वितरण और ग्रामसभा का संगठन, दो, प्रखण्डसभा की ओर से प्रखण्डस्तर पर ऐसा कोई विवास-कार्य जिसका गहरा 'इम्पैक्ट' हो। उदाहरण के लिए जिस दिन प्रखण्ड की सौ ग्रामसभाओं में से दो चार आगे निवलेंगी और आपसी सहकार से उल्लेखनीय काम कर दिखायेंगी, उस दिन जनता की आशा और विश्वास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

(३) अपूर्णता—कार्यवत्ता की, विचार की।

(३) अपूर्णता—
सत्य के वार्यवर्तीओं की अपूर्णता का आन्दोलन पर गहरा असर हुआ है, और हो रहा है, यह स्पष्ट है। लेकिन प्रखण्डदान के सिलसिले में स्थानीय शक्ति सामने आ रही है। उसे आगे रखकर स्वयं पीछे रहने का सवाल है। हमें नये लोगों के साथ भाई चारा

कायम करने की कला सीखनी है। साथ ही हमें ऐसा कोई हुनर भी सीखना चाहिए जो जनजीवन के लिए उपयोगी हो, और जिसे लेकर हम समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकें। लेकिन हमारा सबसे बड़ा गुण है हमारे अन्दर कान्ति की आग। कार्यकर्ताओं वो सख्त्या को कभी स्थानीय लोगों से पूरी होगी, लेकिन जो सस्था के कार्यकर्ता हैं उन्हें लग्ज, सातत्य, बौद्धिक क्षमता और टीम-वर्क की दृष्टि से अपने में सुधार लाने के उपाय तो करने ही होगे।

जहाँ तक विचार की व्यावहारिकता का प्रश्न है, ग्रामदान की मुख्य शर्तों का विरोध बहुत कम होता जा रहा है। ज्यादा कठिनाई स्वामित्व-विसर्जन को लेकर थी, लेकिन उसके व्यावहारिक स्वरूप को समझ लेने के बाद भय निकल जाता है। अब ऐसे लोग अधिक सख्त्या में भिलने लगे हैं जो कहते हैं 'इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है।' कुल मिलाकर प्रश्न शर्तों का नहीं रह गया है, प्रश्न यह रह गया है कि गाँव में इतनी फूट है कि यह योजना चलेगी कैसे? यह भी है कि फूट मिटेगी तो योजना चलेगी, और योजना चलेगी तो फूट मिटेगी। एक दुश्चक है, इसे कही-न-कही तोड़ना है। इस दृष्टि से ग्रामदान की शर्तें सबकी शक्ति के अन्दर हैं, व्यावहारिक हैं। उनसे गाँव के जीवन की वुनियादें तो बदलेगी ही, तात्कालिक कठिनाइयों का मुकाबिला करने की शक्ति भी आयेगी। इस वुनियादी शक्ति के अभाव में तात्कालिक समस्याओं का हर भी कैसे निकलेगा?

३. आनंदोलन की स्थिति : कुछ स्वास घातें

(१) जिन प्रखण्डों का दान हो गया है उनमें जल्द-से-जल्द ग्राम-सभाओं और प्रखण्डसभा का सगठन किया जाय, ताकि जनता को ग्रामदान के गर्भ से जन्म लेनेवालों सहवार-शक्ति आंखों के सामने दिखायी देने लगे। इससे ग्रामदान में विश्वास जगेगा, और यह भरोसा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं।

- (२) कार्यकर्ताओं का ग्रामदानमूलक प्रशिक्षण आवश्यक है, जिसका अभी अभाव है। इस दृष्टि से सस्थाएँ अपने कार्यकर्ताओं की दो टोलियाँ बना सकती हैं—एक प्रखण्डदान-अभियान के लिए, दूसरी प्रखण्डदान के बाद सधटन और विकास के लिए। विकास की टोली के हर सदस्य दो कोई-न कोई ऐसा हुनर आना ही चाहिए जो ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी हो।
- (३) बड़ी सभ्या में शिविर हो—ग्रामसभाओं वी ग्रामसमितियों के सदस्यों के और शान्ति-सेवक के रूप में उत्साही युवकों के।
- (४) प्रखण्डदान के बाद प्रखण्ड की पूँजी से 'ग्रामदान विकास सोसाइटी' का सगठन हो जो प्रखण्ड में विकास की जिम्मेदारी ले सके। यह स्वयं प्रखण्ड सभा के अधीन हो, और इसके 'टेक्निकल कोर' के रूप में भूमिसेना (या मुक्ति सेना) का सगठन हो।

इन कामों से प्रखण्ड की जनता को नयी आशा और विश्वास का भान होगा, और उसके सामने नये समाज का कुछ चिन्ह भी आयेगा।

कुछ अन्य बातें :

१. राज्य में राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं वा एक दल हो जो विभिन्न जिलों वे आमत्रण पर प्रखण्डदान अभियान में नेतृत्व वा धार कर सके। जिला स्तर पर भी टोली बन सकती है।
२. वच्चे ग्रामदान और प्रखण्डदान रोकने वे उपाय हो—'सेम्पुल टेस्टिंग' वी जायें।
३. ग्रामदान बानून यी मुद्द्य बातें छापबर बांटी जायें।
४. ग्रामदान से उठनेवाले भनोवैशानिक व्यार्थिक, सामाजिक या सास्कृतिक प्रश्नों वा अध्ययन हो। आन्दोलन से समाज पर होनेवाले 'इम्प्रैक्ट' वा विद्लेषण हो।

ग्रामदान : पुष्टि (लोक-संगठन) : ३ :

१. निर्माण : ग्रामदान को पक्का करना—

शर्तों को पूर्ति

ग्रामदान या सामूहिक घोषणा-भव और व्यक्तिगत समर्पण-भव भरने के बाद पानीनी पुष्टि हो जाने पर गौव के लोगों के माय सखार का भूमि के मामले में सम्बन्ध बदल जायगा। हर व्यक्ति का अस्तग-अलग घाता गरखार के पास न रहकर ग्रामदान के पास रहेगा और गरखार के पास पूरे गौव का गिरफ्तार पास रहेगा। जूँकि यह भूमि के सज्जन-भव मामला है, इसकिए गौव के लोगों द्वारा ग्रामदान का जो निर्णय होता है, उसे गरखार की मान्यता मिलाओ है। गरखारी मान्यता के लिए उगते कुछ शिख-शानून होते हैं। प्रायः हर राज्य में जटी ग्रामदान हो रहे हैं, ग्रामदान-शानून बन रहे हैं, या बनने जा रहे हैं। गरखारी मान्यता ग्रामदानों गौवों को सभी ग्रान्त होती जब राज्य गरखार द्वारा दनावे गये ग्रामदान-शानून की दातें पूरी होतीं। जो पूरी हो इसके लिए ग्रामदान-शानून की शर्तों को ध्यान में रखकर शामिल भूमि और घोषणा-भव दनावे गये हैं। अधिक भारतीय गार पर नमूने के लिए गवं गेता गप ने ग्रामदान-भव और घोषणा-भव तंत्रार किया है। (देखें परिचय २) इसकिए दोनों ग्रान्त के दबों (पातों) की हर तरफी भूमि भावन्दर है।

कानूनी भाग्यता मिलती है। ग्रामदान के लिए आवश्यक है वि (१) कम-से-कम इतने लोगों ने समर्पण-पत्र पर हस्ताक्षर किये हों जो गौव के कुल निवासियों के कम से-कम ७५ प्रतिशत हो, और (२) जितनी भूमि गौव में रहनेवालों की गौव में जितनी भूमि है उसकी कम से-कम ५१ प्रतिशत हो। (कई राज्यों में कम-से-कम ७५ प्रतिशत भूमिवानों का हस्ताक्षर भी आवश्यक है) समर्पण-पत्र पर कर्ता के साथ-साथ परिवार वी भूमि के सभी हिस्सेदारों को हस्ताक्षर आवश्यक है।

प्रारम्भिक निर्माण-कार्य

ग्रामदान की घोषणा के बाद समर्पण-पत्र की तफसीलों को भरवाना, ग्रामसभा गठित करवाना और बीघा कट्टा निकलवाना, ये प्रारम्भिक निर्माण कार्य हैं, बल्कि इन्हें निर्माण की वृनियाद कहना उचित होगा। लेकिन यह काम कौन करे ?

ग्रामदान प्राप्त करनेवाले कार्यकर्ताओं और ग्रामदान प्राप्ति की सयोजन-समितियों वो, ग्रामदान की घोषणा में जो फिजा बनती है उसका लाभ लेकर, यह बाम कर लेना चाहिए। इस बाम में गौव के उन उत्साही लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने ग्रामदान कराने में विशेष दिलचस्पी ली है। पहले ग्रामसभा गठित हो, और उसके बाद ग्रामसभा ही बीघा-कट्टा निकालने का काम करे, यह पद्धति अधिक प्रभाव कारी होगी। लेकिन बीघा-कट्टा निकालने में देर नहीं होनी चाहिए। समर्पण-पत्र की शाँउ पूरी हो जाने, ग्रामसभा गठित हो जाने और बीघा-कट्टा निकालने के बाद ही अधिकादा ग्रामदानी गौव उस मजिल पर पहुँचते हैं, जहाँ से वे खुद विवास की दिशा में आगे बढ़ने में प्रयत्नशील हो सकेंगे।

ग्रामसभा

ग्रामदान की घोषणा के बाद ग्रामसभा वा गठन ही पहला निर्माण का बाम है। ग्रामदान प्राप्ति वा बाम बरनेवाले गौव वी पहली दैठव बुलायें, उसमें गौव वी एकता वे महत्व और चुनाव वी विषटनपारी पद्धति वे दुष्परिणामों वो गौववालों वे सामने रखते हूए ग्रामसभा वे यारे

में यह बताये कि सर्वं के 'उदय' में सर्वं की शक्ति को लगाने और उसे सर्वोजित तथा समर्थित करने के लिए ग्रामसभा बनेगी। इसीलिए उस ग्रामसभा के समर्थन और चुनाव में विरोध नहीं पैदा होना चाहिए। अध्यक्ष, मन्त्री, और कार्य-समिति वा चुनाव ग्रामसभा के सब सदस्यों की एकराय से होना चाहिए। गाँव के लोग चाहें तो कार्य-समिति के चुनाव की जिम्मेदारी अध्यक्ष को ही सौप सकते हैं, या कार्य-समिति का भी युला चुनाव कर सकते हैं। जिसके लिए ग्रामसभा के सब लोग एकराय हो, किसीका भी विरोध न हो, वह निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर विसी विषय में अधिकाश लोग एकराय हैं, लेकिन कुछ थोड़े से लोग विरोधी हैं, तो विरोध करनेवालों की बात सुननी चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अधिकाश लोगों की जो राय है उसे विरोध करनेवालों को समझाना चाहिए। यह प्रक्रिया समझाने और समझाने की तब तक चलनी चाहिए जब तक कि विरोध खत्म न हो जाय। विरोध करनेवाले अपना विरोध वापस कर ले, भले ही अपना सत्रिय समर्थन न दें, तटस्थ ही रहें, तो भी वह निर्णय मान्य हो सकता है, इसे सर्वानुमति देंगे। अगर परिस्थिति और भी विकट हो और कई उम्मीदवार हो तो सर्वाधिक मत जिन लोगों को प्राप्त है, उनमें पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर के लोगों के नाम पर लाटरी डाली जाय, और जिसका नाम आये उसे ही चुना जाय। लोग चाहे तो सबके नाम पर लाटरी डाली जाय।

जिस गाँव में जितने अधिक झगड़े हो, उस गाँव में उतना ही अधिक सर्व-सम्मति का आग्रह रखा जाय। गाँव के चेतन लोगों को चाहिए कि विरोधवादी प्रवृत्ति और उसके कारणों को क्षीण करने वा निरन्तर प्रयास करे। तभी गाँव की एकता अखण्डित रह सकेगी, और सबकी शक्ति एक साथ जुड़कर प्रकट हो सकेगी।

सो या सौ से अधिक जनसम्मान के गाँवों की अपनी अलग ग्रामसभा बनाने की छूट ग्रामदान बानून ने दी है, यह ठीक है। यह छूट भूमिहीन

गांवों को भी उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे भूमिवान गांवों को । भूमि के आधार पर भेद करना ठीक नहीं है ।

ग्रामदानी गांव के गैर-ग्रामदानी २५ प्रतिशत या उससे कम लोग ग्रामसभा के सदस्य होंगे । वे ग्रामदान में शारीक नहीं हैं, इस कारण उनके साथ दुराव नहीं होना चाहिए । अगर ये लोग ग्रामकोष में शारीक होंगे तो उसका लाभ लेंगे । वाकी प्रवृत्तियों में सबको साथ रखने पर ध्यान रहे नहीं तो तनाव बढ़ने का खतरा है । इस प्रदर्शन पर हमेशा सतकं रहना चाहिए ।

सरकार से कानूनी सम्बन्ध

इस सम्बन्ध में तीन बातें सामने आयी हैं :

- (१) आज भी कानून के अन्तर्गत ग्रामदानी ग्रामसभाओं को पचायत या दर्जा प्राप्त है । राजस्थान में प्रति एक हजार ग्रामदानी आवादी के पीछे पचायत समिति में प्रतिनिधि जाता है । यह अच्छा है ।
- (२) ग्रामसभा गलत काम करे तो सरकार ग्रामदान बोर्ड की सलाह से 'सुपरसीड' वरे तथा आगे की कार्रवाई करे ।
- (३) मीजूदा पचायती राज में चुनावों को लेकर गुटबन्दी होती है । ग्रामदानी गांवों के प्रतिनिधि इस गुटबन्दी से दूर रहे । धीरे-धीरे उसको मिटाने की ओर प्रयत्नशील हो । प्रखण्डदान से ग्रामदान और पंचायती राज के बीच बी उलझनें दुर्घट हो जायेगी ।

पार्टीबन्दी के कारण विकास-योजनाओं के लाभ से ग्रामदानी गांव बचित विये जा सकते हैं, क्योंकि वे किसी मुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी नीतिक शक्ति होगी तो यह नीवत नहीं आयेगी ।

बीघा-कट्टा

बीघा-कट्टा निकालने के लिए अमीन कहाँ से आये, छोटे-छोटे टुकड़ों को इकट्टा कैसे किया जाय, यह एक कठिन सवाल है ।

बीघा में कट्टा निकालने के पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामसमाज की एकता सुदृढ़ हो, गाँव में बसनेवाला हर छोटा-बड़ा दान की प्रक्रिया में शामिल हो, भूमिहीनों का भी गाँव की धरती से लगाव बने, और उन्हें भूमि भी मिले, इसलिए जिनके पास थोड़ी भी जमीन है, वे भी बीसवाँ हिस्सा अवश्य दान में निकालें । लेकिन बहुत थोड़ी जमीनबाले, और ऐसे लोग जिन्हें सरकारी परिभाषा में भूमिहीन माना गया है, अपनी भूमि का बीसवाँ भाग दान में देंगे तो वह बहुत छोटा टुकड़ा होगा । उसे बाँटने में कठिनाई होगी । इसलिए ग्रामसभा चाहे तो (१) उस दान के हिस्से की जमीन जितनी है उसकी बीमत बसूल करे, या तो एक मुश्त में या फिर फसल पर, जब तक कि पूरी कीमत न मिल जाय, फिर उस पैसे से जमीन खरीद-कर भूमिहीनों को दे, या (२) थोड़ी भूमि के ऐसे मालिकों को उनका हिस्सा लेकर फिर उन्हें ही वापस कर दे, या सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को बीसवें हिस्से के 'दान' से छूट ही दें । (३) बड़े मालिकों से निवेदन करे कि गाँव में कोई भी भूमिहीन नहीं रहे, इसके लिए बीसवें हिस्से के अलावा कुछ अधिक भूमि का दान करे ।

बीघा-कट्टा निकालने के लिए कागज और नाप बर्गरह की जानकारी रखनेवाले अमीन की जरूरत होगी, जो सब जगह उपलब्ध नहीं होगे, इसलिए ग्रामसभा गाँव के ही जानकार लोगों की मदद से यह काम कर ले ।

बीघा-कट्टा में प्राप्त कुल भूमि टुकड़ों में विखरी होगी । वितरण में सुविधा होगी अगर उन टुकड़ों को एक चक में कर लिया जाय । इमके लिए 'बदलौन' की या और कोई पद्धति अपनायी जा सकती है । ग्रामसभा मिलकर सोचेगी तो कोई-न-कोई आपसी ढग निकाल लेगी । कई ग्रामदानी गाँवों ने यह समस्या आपसी बदलौन से हल कर ली है ।

ग्रामसभा बनाने या वीथा बट्ठा निकालने के लिए कानूनी कार्रवाई की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। बानून वे अनुसार ग्रामदान की पुष्टि जब होगी तब होगी, लेकिन उसके पहले सब वाम आपसी ढग से हो सकता है और होना चाहिए। यांव की आपसी शक्ति ही ग्रामदान वीं असली शक्ति है।

ग्रामकोष

कुल उपज, मजदूरी एवं हर प्रकार की आय का हिस्सा धोषणापत्र के अनुसार ग्रामकोष में जमा किया जाय। ग्रामसभा इसे निर्धारित करने की पद्धति निश्चित करेगी। सामान्यतः यह अच्छा होगा कि परिवार अपनी आय स्वयं बताये, और ग्रामसभा परिवार की बात मान ले। अविश्वास से विवाद बढ़ेगा, और विवाद से एकता टूटेगी। उत्तम व्यवस्था इवास से विवाद बढ़ेगा, और विवाद से एकता टूटेगी। उत्तम व्यवस्था एवं बातावरण इसमें सहायक होगा। ग्रामकोष इकट्ठा करने के त्रम में एवं बातावरण इसमें सहायक होगा। ग्रामकोष इकट्ठा करने के त्रम में विश्वास बढ़े, घटने न पाये, इसका ध्यान रखना चाहिए।

ग्रामकोष का विनियोग

क—ग्रामकोष ग्रामसभा की स्थायी पूँजी होगी। यह रखम बहुत अधिक नहीं होगी जिसे विकास-कार्य पर खर्च किया जाय। इस कारण कोष हमेशा पूँजी या लागत के रूप में ही लगाया जाय। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि का कार्य चन्दा, ग्रामदान या सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाय।

ख—ग्रामकोष १/२० हिस्सा की सीमा तक नवद पैसे में जमा रहे, शेष ऋण, स्थायी सम्पत्ति, पशुवा माल या व्यापारिक लागत में लगा रहे।

ग—स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ऋण वीं मदो का आवश्यकतानुसार बर्गीवरण किया जाय एवं वरीयता स्थिर की जाय, जैसे—
(१) बेकारी निवारण, कृषि वीं प्रारम्भिक पूँजी, वृष्टि-मुघार, बुटीर-उद्योग आदि;

- (२) गौव वी आय के अनुसार नागरिकों वे दोन्हीन वर्ग विये जायें,
- (३) निम्न-वर्ग वे लोगों वो दवा, मकान आदि जीवन वी आवश्यक वस्तुओं के लिए ऋण दिये जायें,
- (४) उत्पादन वे ऋण के लिए सूद की दर वम रखी जाय तथा सूद पुन उन्हींको आगे अपनी कृषि तथा उद्योग वे विकास वे लिए दिया जाय,
- (५) सूद की दर में आधिक श्रेणी के अनुसार भेद विया जाय यानी गरीब के लिए कम, मध्यम वर्ग के लिए साधारण तथा ऊपर के वर्ग वे निए अधिक रखा जाय,
- (६) गौव वे सम्पद लोग यदि अपनी वृष्टि या उच्चोग वे लिए प्रामकोप से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रामकोप में रख्या मौजूद है तो ऋण दिया जाय, पर ध्यान रखा जाय कि वर्ज की पूँजी से बमाये गये मुनाफों पा एक भाग प्रामकोप में वापर हो ।

हिंसाव विताय

प्रामकोप गौव में लगडे वा बारण हो सकता है, यह मानवर वाप वो दावयारो या वंश में जमा करने, दोन्हीन लोगों वे दस्तियत से निकालने, तथा पूरा हिंसाव प्रामसभा की मार्गिक बंठक में पश करने, और समय-समय पर आटिट बरातों के बारे में बहुत मतदं रहना चाहिए । बोई बाम ऐसा न हो जिसरो विमीरे भन में सादेह पंदा हो । प्रामकोप शुर वरने वे पट्टिं आवश्यक व्यवस्था बर लेनी चाहिए ।

प्रामदान पररा क्या मानें ?

प्रामदान की पोषणा गौव के लोगों ने बर दी ता वह गौव प्रामदानी

हो गया। लेकिन पत्रायत के पूरे अधिकार तथा सरकार के साथ जपे प्रकार के सम्बन्ध तब बनेंगे जब कानून से भी ग्रामदान एवं (कनफर्म) हो जायगा। लेकिन इस पक्षका करने की प्रतिष्ठा में और उसके पूरी होने में अनेक कारणों से विलम्ब हो सकता है। इसलिए ग्रामदान होने के बाद गांव में लोग उस कानूनी कारबाई का इन्तजार किये बिना ही अपना काम शुरू कर दें। कुछ प्रारम्भिक वार्ष्य ये हैं—

- १ ग्रामसभा बनाना,
- २ जमीन के बीसवें हिस्से की प्राप्ति और उसका बैटवारा,
- ३ पुलिस-अदालत-मुकित का सकल्प, गांव के झगड़े गांव में सुलझा लिये जायें,
- ४ शान्ति-सेवक-दल का संगठन,
- ५ ग्रामदान को ठोस बनाने के लिए गांव के लोगों वा विचार-शिक्षण-आपसी चर्चा, घट्टभर का विचालन, सत्साग, शिविर आदि के द्वारा तथा सामूहिक ग्रामदान, सप्ताह में, १५ दिन पर या भवीने में एक दिन का, जैसा गांव तथ करे। शिविरों में पढ़ोसी गांव के लोग भी शरीक किये जायें। शान्ति-नेता-घण्डल प्रान्तीय तथा तीन-चार जिलों के मिले-जुले शान्ति-नेता-दल वे शिविरों को आयोजित करने वी जिम्मेदारी के सकता है।

ग्रामदान पक्षा करने के लिए राज्य-सरकारों ने अपने-अपने ग्रामदान-कानून में अलग-अलग व्यवस्था तय की है। जिन राज्यों में भूदान-बांड या ग्रामदान-बोर्ड है उन्हें ही ग्रामदान एवं करने की जिम्मेदारी दी जाय, और इस जिम्मेदारी को वे स्थानीय सरदौदर संगठन और रेवेन्यू विभाग वे तत्व की सहायता लेकर पूरी करे। भूदान या ग्रामदान-बोर्ड न हो तो यह जिम्मेदारी रेवेन्यू-विभाग वी मानी जाय।

ग्रामदान-संघ, स्थानीय संगठन, प्राप्ति-वार्ष्य में योग देनेवाले अन्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, भूदान-रामिलि, ग्रामदान-बोर्ड वे पार्यकर्ता,

सबकी मदद से ग्रामदान पक्का हो । सहयोग लेने का वाम प्राप्ति के कार्यकर्ता करे । 'तूफान' के साथ इस कार्य को भी वरावर का महत्व दिया जाय ।

२. विकास (पोषण)

अ—लक्ष्य :

ग्रामस्वराज्य की भूमिका में ग्रामदान के बाद विकास के जो भी काम होगे उनका लक्ष्य होगा सरकार-शक्ति के स्थान पर गाँव और क्षेत्र में सहकार-शक्ति विकसित करना । गाँव और क्षेत्र के विकास की योजनाएँ स्थानीय हो, और उनका सयोजन, सचालन स्थानीय लोक-शक्ति से हो, तो धीरे-धीरे लोक शक्ति ठोस होती जायगी और राज्य-शक्ति क्षीण होती जायगी ।

ब—विकास का चिन्ह

सन्तुलित और समग्र विकास की तीन मूल बुनियादे होंगी—

(१) भौतिक, (२) नैतिक, (३) सास्त्रितिक ।

भौतिक विकास की योजनाओं की दो दिशाएँ होगी—

(१) उत्पादन-बुद्धि

मालिक अपनी बुद्धि, महाजन अपनी पूँजी और मजदूर अपने श्रम की शक्तियों का संगठन करने दो काम करे—(क) गाँव की खेती और चालू उद्योग-धन्धो की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों तथा काम करनेवालों के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था ताकि व्यार्इ बढ़े, तथा (ख) गाँव के हर आदमी को रोजगार मिले ताकि गाँव में विसीको भूखा-नगा न रहना पड़े । इसके लिए गाँव में नये उद्योग-धन्धा की शुरुआत हो । कोशिश यह हो कि धीरे-धीरे सबकी उत्पादन-क्षमता बढ़े और सबको सन्तुलित आहार और सबके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग जाय । पीने लायक पानी पर तत्त्वाल घ्यान दिया जाय ।

(२) शोषण-मुक्ति

शोषण-मुक्ति के लिए आर्थिक धनि को सबसे पहले रोकना होगा। आर्थिक धनि को रोकने के लिए अर्जन-मुक्ति (सूद वी अपरिमित दरें, गिरवी भूमि, उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, बाजार से पूरी होनेवाली आवश्यकताओं का मनमाना मूल्य—इन सब प्रकार वी परिस्थितियों से मुक्ति वी योजना), नशामुक्ति, कुप्रयाओं (जिनके कारण व्यर्थ का खर्च होता है और गाँव के साथ कर्जदार बनते हैं, जैसे—शादी, आदि आदि के मौके पर होनेवाले फालतू खर्च) का निरमन, पुलिस-मुक्ति, अदालत-मुक्ति (गाँव की रक्षा के लिए शान्ति-सेवा-दल का संगठन, गाँव के जगहों का गाँव में ही सुलझाना), आदि कार्यक्रम लेने होंगे। ध्यान इस ओर रहे कि (क) जीविका की सुरक्षा हो—अनिश्चितता दूर हो, (ख) कमाई का कुछ अश पूँजी के लिए बचे, (ग) एक गाँव द्वारा दूसरे गाँव का शोषण न हो।

नेत्रिक तथा सांस्कृतिक विकास : मुख्य आधार

- (क) गाँव का सामूहिक अभिक्रम जागृत हो, तथा सरकार-शक्ति पी जगह सहकार-शक्ति और दण्ड-शक्ति की जगह रामसति-शक्ति का विकास हो।
- (ख) सर्व-सम्मति और सर्वानुभवि की मानसिक भूमिका बने और सामूहिक निर्णय की शक्ति पैदा हो।
- (ग) एक दूसरे की चिन्ता हो। पड़ोसी से तथा पूरे गाँव से पारिवारिकता का विकास, पड़ोसी गाँवों और उससे आगे के बर्तुली के साथ हितेक्षय की दिशा में बढ़ना; व्यक्तिगत या पारिवारिक हित और गाँव तथा समाजहित में व्याप्त विरोप की समाप्ति।
- (घ) सर्व के उदय की योजना बने, विप्रमत्ता वर्ष-निराकरण की कोशिश हो, तथा शोषण और शासन-मुक्ति की दिशा में व्यवस्थापरिवर्तन हो।

(च) मौलिक विकास तभी सार्थक है जब उससे मनुष्य का सास्कृतिक विकास हो। जिस भौतिक विकास का ठोस सास्कृतिक आधार नहीं होगा उससे मनुष्य की मनुष्यता नहीं प्रकट होगी।

समग्र चित्र

क—सबके अभाव की पूर्ति के कार्यक्रम बनाये जायें, जिनमें प्रयत्न किया जाय कि—

१. गाँव की भूमिहीनता मिटे। वीथा-कट्टा में दान की भूमि, सामूहिक तथा सरकारी भूमि भूमिहीनों को काश्त के लिए मिले, अधिक भूमिवालों से भूमिहीनों के लिए दान माँगा जाय।
२. गाँव में जो भी उद्योग-धन्दे शुरू किये जायें उनमें प्राथमिकता अन्तिम व्यक्ति को दी जाय।
३. सबको काम और श्रम का उचित मूल्य मिले। गाँव का हर व्यक्ति अपना खुद का विकास महसूस करे; सामूहिक विकास के नाम पर व्यक्ति की उपेक्षा न हो।

ख—गाँव में आपसी सहकार का वातावरण बने, सामूहिक स्प से कुछ करने का अभ्यास हो। सामूहिक सुरक्षा की परिस्थिति का निर्माण हो, इसके लिए—

१. योक व्यापार, उद्योग और 'श्रेडिट' का ग्रामीकरण हो।
२. सामूहिक योजनाओं में साधन और पूँजी के साथ ही श्रम को भी वरावरी का स्थान दिया जाय [गाँव के दायरे में श्रम को करेसी मानकर काम हो सके, ऐसी कोशिश हो]
३. सहकारी उत्पादन में औसत के बाद के अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग श्रमिक को मिले, यह तथा इसी प्रकार वी दूसरी कोशिशें करनी होगी।

ग—गाँव के भौतिकी और वाहरी हित-विरोध समाप्त हो, और 'सर्वहित'

की भावना और परिस्थिति यने इसकी बोशिता निरन्तर करती होगी, यथा—

- १ भूमि का दीसवाँ हिस्सा निकालने, बौटने, ग्रामसभा में सर्व सम्मिति का तत्त्व दाखिल करने जैसे नये मूल्यों की स्थापना वे कार्यक्रम से हित विरोध घटेंगे ।
- २ पररूपर विश्वास तथा निर्भयता का यातावरण बनाकर । ऐसी परिस्थिति लायी जाय कि अन्तिम व्यक्ति भी अपनी बात छुलकर कह सके ।
- ३ जीवन को उदात्त मूल्यों की ओर ले जाने के शैक्षणिक कार्यक्रम का निरन्तर प्रयास, और अभ्यास हो ताकि लोगों वा सम्बार सुधरे, और चिन्तन वा स्तर ऊँचा उठे ।

विकास की योजना, सगठन, पूँजी

- १ उद्योगों वे प्रकार वे अनुसार योजना परिवार, गांव और क्षेत्र को 'युनिट' मानकर बनेगी वयोंकि मुछ उद्योग परिवारित्व स्तर पर, कुछ ग्राम स्तर पर, कुछ क्षेत्र-स्तर पर चलेंगे । उससे आगे राष्ट्रीय और बन्तरराष्ट्रीय उद्योग भी चलेंगे ही । लेकिन योजना की प्रमुख इकाई गांव ही होगी । योजना ऐसी हो जिसमें हर परिवार शरीक हो सके ताकि अन्तिम परिवारों की उपेक्षा न हो । लक्ष्य एक समग्र ग्राम योजना वा विकास रहे ।
- २ विकास के बाम वे लिए 'ग्रामदान समिति' या 'ग्रामदान-संघ' का सगठन हो । ग्रामदान-संघ या ग्रामदान विकास-समितियों के सगठन वा यह सिलसिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाय ।
- ३ योजना गांव यी, साधन समाज का और प्रशिक्षण सम्पदा वा इम तरह ग्रामदानी गांवों के विकास की गमन्यता योजना होगी ।

सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं से साधन तथा प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने के लिए सम्पर्क-समितियों का सम्बन्ध ग्रामदान-प्राप्ति-समिति अथवा निर्माण-समिति द्वारा किया जा सकता है। यह सगठन उन संस्थाओं के सामने ग्रामविकास का क्रमिक चिन्ह पेश करे और सहायता के लिए प्रेरित करे।

४ लेकिन ग्रामदान विकास समिति या ग्रामदान संघ दूसरों की सहायता पर ही निर्भर न रहे, बल्कि विकास-कार्य के लिए गाँव में उपलब्ध साधनों और व्यक्तियों की क्षमता को ही अपना आधार बनाये। सुझाव के तौर पर—

व—गाँव या क्षेत्र के पुराने अनुभवी और निवृत्त व्यक्ति गाँव के शिविरों में बुलाये जायें या लोग उनके पास जायें और उनके अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठायें।

छ—व्यापार का ग्रामीणरण हो। ग्राम-मण्डार के सम्बन्ध द्वारा गाँव में जो उत्पादन होता है उसे उचित मूल्य मिले और प्राथमिक बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान गाँव में उचित दरों पर उपलब्ध हो, यह प्रयास किया जाय। गाँव में 'प्रोसेसिंग इडस्ट्री' शुरू की जाय।

ग—स्थानीय साधनों से खाद तैयार करने का व्यापक व्यवस्था चलाया जाय और अच्छे बीज प्राप्त करने और बांटने का काम प्रखण्ड स्तर पर हो।

घ—सामूहिक श्रमदान का आयोजन हो। सरकार की विकास-योजना के विभाग से उस श्रमदान द्वारा जो निर्माण-कार्य हो उसका मूल्याकन करके, सहायता प्राप्त की जाय और उसका पूरा या एक अश गाँव की विकास-योजना में लगाया जाय। ५ ग्रामदानी गाँवों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय

ग्रामदान : प्रचार, प्राप्ति और पुष्टि

स्तर पर साधन तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने के लिए समठन खड़े किये जायें। सर्व सेवा सध तथा 'अवाढ़' इस दिशा में प्रयत्नशील हो।

ग्रामदानी गाँव के शिक्षण की योजना

मुक्ति की घोषणा (ग्रामदान)

ग्रामसभा

सेवक समिति के ७ सदस्य
तथा

ग्रामसभा के कुछ अन्य उत्साही व्यक्ति

२ तकनीकी प्रशिक्षणार्थी

(शिविर-पद्धति) ←— लोक-शिक्षण —→ (विद्यालय-पद्धति)
तीन दिन से सात दिन के
शिविर—४ घण्टे रोज।
प्रति तीन महीने पर शिविर।
अभ्यासक्रम—

६ महीने या १ साल का
अभ्यासक्रम—
अम्बर से डेढ़ से दो रुपया रोज
बाजाने की क्षमता हो जाय।

(१) ग्रामसभा का समठन—

अभ्यासक्रम

(क) घोषणा-पत्र तथा सबल्प
और समर्पण - पत्र
भराना, बीघे - कट्टा
निकालना,
ग्रामकोष का सप्रह और
विनियोग,

(ख) सर्वसम्मति, सर्वानुमति
दो पद्धति;

(१) वस्त्रोदयोग—

(क) वपास खेती,
ओटाई,
घुनाई,
सादा चरखा,
अम्बर,
बुनाई,
(द्वितीय आधार पर

- (ग) येठको की कार्यवाही-पुस्तिका, विवरण, प्रतिवेदन आदि ।
- (ख) सूत का अव, सूत की खरीद, सूत की बदलौन, बुनवार की धोट, वित्री, हिसाब किताब ।
- (द) गाँव का उपचार ।
- (३) सफाई - बुँआ, टट्टीघर, पेशावधर ।
- (४) झगड़ो का शान्तिपूर्ण निवारा ।
- (५) गृह-वाटिका
- (६) डायरी लिघ्ना, दूसरा चो विचार समझाना, ग्रामजाला चलाना ।
- (ग) उत्पादन-वृद्धि, खेती, खादी, अय उद्योग ।
- (घ) शोषण-दमन - मुक्ति ।
- (च) स्वस्य पात्रिकाति जीवन,
- (छ) राष्ट्रभूक्ति ग्रामादिक सम्बन्ध ।
- (३) गाँव का अपने दोन, जिने, राज्य और देश में

स्थान—दुनिया से नारा,
दूसरी स्थानों, दूसरे
गीवों, और सरकार से
सम्बन्ध ।

(४) पठोस में ग्रामदान की प्राप्ति—
प्रचापत, छलाव, जिला,
राज्य, देश के स्तर पर
ग्रामदान का संगठन ।

(५) गाँव की भूमिका में सबका ॥
लोकतन्त्र, सबवा समाजवाद ।
नोट अभ्यासश्रम में व्रमण और वातें जुड़ती जायेगी ।

खादो-ग्रामोद्योग

खादो-ग्रामोद्योग द्वारा समाज का समूह आधिक दाँचा बदलना है,
इसलिए जातिगत पेशे के कारण उपलब्ध पारस्परिक कुशलता वा भोग
त्यागना चाहिए । और, नयी कृषि-औद्योगिक-विकेन्द्रित वैज्ञानिक आधिक
रचना की भूमिका मे काम करना चाहिए ।

(इस विषय पर सर्व सेवा संघ की खादी-ग्रामोद्योग समिति के सुझाव
मान्य किए गये । देखें परिचय-१)

३. शान्ति-सेना (रक्षण)

ग्रामदान की घोषणा करके गाँव के लोग शान्ति की दिशा मे बढ़ना
शुरू करते हैं । ग्रामदान की घोषणा के लिए जो आयोजन हो । उसमें, या
दूसरे उपयुक्त अवसरों पर ग्रामदानी गाँवों के लोग पीला साफा बींधें तो
शान्ति की हवा बनेगी ।

४. शान्ति-समिति

ग्रामसभा सुरक्षा, सहवार और सम्मति वी शक्ति विकसित करने के
लिए एक शान्ति-समिति संगठित करे । शान्ति-समिति ग्रामसभावना मे

विकास के लिए प्रयत्नशील हो। शान्ति-समिति इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्न करे कि गाँव में पुलिस-अदालत का प्रवेश न हो, गाँव के जगहे गाँव में ही सुलझा लिये जायें।

२. शान्ति-सेवा-दल

शान्ति-समिति गाँव के युवकों का संगठन करे, उसके लिए योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। शान्ति-सेवा-दल गाँव में अशान्ति पैदा होनेवाली परिस्थिति में शान्ति-स्थापना का काम करे। मुरदा के लिए आवश्यक हो तो पहरा दे, प्रतिदिन एक घण्टा या सप्ताह में चार घण्टे गाँव के लिए अमदान का कार्यक्रम आयोजित करे।

ग्रामदान-शाप्ति का काम करनेवाले शान्ति-सेविक बनकर काम करें, उनके कायों में सुव्यवस्था तथा अनुशासन हो। हर ग्रामदानी गाँव में कम-से-कम १० शान्ति सेवक (या शान्ति सेविक) बनाये जायें।

३० जनवरी को शान्ति-समिति, शान्ति-सेवा-दल और शान्ति-सेविक मिलकर शान्ति-स्थापना का सकल्प दुहरायें।

४. अन्य (विशेष बातें)

(अ) गोली के कुछ सुझाव

१. आन्दोलन भी और जन-समुदाय वा ध्यान आवर्पित करने के लिए शान्ति की 'इमेज' को प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है।

ग्रामदान-मूल्य-शान्ति भी 'इमेज' कार्यकर्ता समाज ये समन्वय रखते हैं, इसके लिए उनका योग्य प्रशिक्षण होना चाहिए जिसके लिए राज्य से लेकर जिला या प्रयोग्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं के जिज्ञासन-गिरिर देख में आयोजित भिये जायें।

२. किसार-मुट्ठि भी लिए ऐसे कार्यकर्ता जो ग्रामदान-मूल्य शान्ति की पूरी 'इमेज' प्रस्तुत करने वाली कमता रखते हों, ग्रामदानी गोंयों में सप्तन सोरक्षिताप की यात्राएं बर्ते।

३. ग्रामदान-आन्दोलन वे कानून-दर्शन जो संशिष्ट सेविन सम्पूर्ण

सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाली पुस्तिका तथा कार्यकर्ताओं के लिए एक 'ग्रामदान-मैनुअल' सर्व-सेवा-संघ तैयार कराये।

४. ग्रामदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'ग्रामदान औरियेन्टेड ट्रेनिंग' की पूरी योजना सर्व-सेवा-संघ तैयार करे और खादी-ग्रामोद्योग आयोग को भेजे।

५. 'बखिल भारत ग्रामदान-सहकारी परिषद्' का संगठन किया जाय।

(ब) गोष्ठी की चर्चा में से निकले हुए विशेष अध्ययन व शोध के कुछ विषय

१. सर्वसम्मति और सर्वानुमति की पद्धति, प्रक्रिया का शोध हो।

२. ग्रामदानी गाँवों में थ्रम को पूँजी में बदलने की प्रक्रिया क्या हो?

३. ग्रामदान-टूफान की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं और समाज पर उसके 'इम्पैक्ट' का अध्ययन किया जाय।

४. 'रिसोर्स', 'डिमान्ड', 'लेवर' तीनों को जोड़ने का तरीका क्या हो?

(स) प्रयोग व चिन्तन के कुछ पहलू

१. ग्रामसभा कोई गलत निर्णय ले तो उसे कोन रोकेगा? सरकार-शक्ति, द्वेषीय संगठन, कार्यकर्ता या गाँव में ही कोई ऐसी तटस्थ शक्ति?

२. ग्रामदानी गाँवों के युवकों का प्रशिक्षण—ग्रामसभा के सचालन, ग्रामकोष की व्यवस्था आदि के लिए 'सिलेवस', संगठन, सचालन, सचालन।

३. शान्ति-सेजा ३० जनवरी को शान्ति के लिए सामूहिक रूप से संवर्त्य दुहरायें; संवर्त्य क्या?

अगली गोष्ठी में मुख्य रूप से गाँव वी आर्थिक रचना, प्रबुण्डान, ग्रामदान में दण्ड, अन्याय वा प्रतिकार, संगठन, उद्योग, उत्पादन, मुद्रा, विनियोग और परिवार-नियोजन पर सविस्तार चर्चा हो।



परिशिष्टः १

खादी समिति के सुझाव

पू० विनोबाजी वो खादी के बर्तमान कार्यक्रम से सन्तोष नहीं है। वे खादी के बर्तमान स्वरूप और काम करने के ढग को, बदल देना चाहते हैं। बुनाई-छृट तथा त्रिविधि कार्यक्रम के निर्णय वो स्वीकार कर लेने के बाद भी खादी की पटरी नहीं बदली है, और न दिशा-परिवर्तन ही हुआ है, ऐसा उन्हें लगता है। दूसरी तरफ खादी की विक्री उत्पादन के अनुपात में न होने के बारण सस्थाओं की पूँजी स्टाक में फैसती जाती है और सस्थाओं के लिए स्टाक को निकालने वी समस्या बनती जा रही है। सस्थाओं को इस दिक्षित से निकालने के लिए तथा उनके उत्पादन के कार्यक्रम को अद्युषण रखने के लिए बमीशन ने निश्चय विया था कि सस्थाओं के उत्पादन वा २५ प्रतिशत तक सूत सरकार वो दे दिया जाय।

बमीशन वे सम्प्रयों ने इस प्रश्न पर तथा इससे सम्बन्धित दूसरे वई प्रश्नों पर विनोबाजी से बारतीलाप किया। विनोबाजी के साथ गहराई से चर्चा हुई? इस बातचीत में स्पष्ट हुआ कि विनोबाजी वो सरकार वो मूल देनेवाला निर्णय पसन्द नहीं आया। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि विना खादी का बर्तमान स्वरूप बदले खादी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जब तक खादी वो जनता का सरकार नहीं मिलेगा, तब तक वे बल सरकार वे सरकार पर खादी चलनेवाली नहीं है। जनता का सरकार मिले इसके लिए खादी के काम वी दिशा को बदलना ही होगा।

अधिल भारतीय खादी प्रामोद्योग बोड़ ने विनोबाजी के इस विचार को स्वीकार किया, और थी रामचन्द्रन्, थी देवकरण सिंह तथा थी सोमदत्त

की एक उपसमिति बनायी जिसे इस प्रश्न पर विचार करना था कि वर्तमान काम के स्वरूप में क्या-क्या परिवर्तन किये जायें, जिससे पूँ विनोबाजी द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम को अपनाया जा सके ।

उपसमिति ने उपरोक्त प्रश्न पर विचार किया, तथा कुछ सुझाव रखा, जो निम्न प्रकार है—

(१) चर्चा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि खादी का वर्तमान काम स्थागत काम है उसका स्वरूप बदलकर स्थागत हो जाना चाहिए। यानी आज तक स्थाएं अपने काम के योगधोम की चिन्ता नहीं की जाती है कि काम कहाँ फैलाना, किस प्रकार यह आदि। अपने उत्पादन वो किस प्रकार बेचना यह चिन्ता रहती है। इस सारे कार्यक्रम का विचार तथा उसकी विधि एवं मात्र स्थाओं की चिन्ता का विषय रहता है।

लेकिन भविष्य में ग्राम-ग्राम में ग्रामसभाएं बनायी जायें। उन्हें प्रेरित किया जाय कि उनके क्षेत्र में चलनेवाला या आगे चलाया जानेवाला कार्यक्रम उनका खुद का कार्यक्रम हो। इस काम की बाबत उन्हें ही सोचना है, उन्हें ही क्रियान्वित भी करना है। अब गाँव की जरूरत का कपड़ा बनाने के लिए आवश्यक चरखा चलाना, उस सत वो बुनवाना, तथा उत्पादन को गाँव में खपा लेना, यह सारा कार्यक्रम ग्रामसभा का रहेगा। खादी-स्थाएं इस कार्यक्रम में निष्ठात हैं। इसलिए उनसे सहायता के रूप में तबनीकी मागदर्शन ग्राम को मिलेगा।

(२) इस प्रकार का कार्यक्रम देश के कुछ भागों में चल भी रहा है। तमிலनாடு सर्वोदय सघ तथा सीराप्टू के चलाला में इही आधारों पर काम चल रहा है। समिति ने सुझाया कि इस प्रवार वे कार्यक्रम जहाँ-जहाँ चल रहे हैं वहाँ-वहाँ की विस्तृत जानकारी सब स्थाओं वो दी जाय।

इस जानवारी को देने के साथ-साथ कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की २-२, ४-४ वीं टोलियाँ बनाकर सर्वत्र भेजी जायें। ये टोलियाँ राज्यों की हर विधिनीय में जायें जहाँ खादी-काम होता है। ये टोलियाँ राज्य की कुल संस्थाओं से एकत्र न मिलकर एक-एक विधिनीय की संस्थाओं से मिलें। उन्हें विनोबाजी वा यह विचार समझायें तथा उनरे सामने सारा कार्यक्रम प्रस्तृत करें और उन्हें अपने काम की नयी दिशा देने में प्रेरित करें।

वे पात्र १ इन टोलियों का चयन खादी समिति शीघ्र ही करे तथा खादी बुनाई प्रीदान इनके प्रवारान्वय की व्यवस्था करे।

भी यार १ (३) खादी-काम को ग्रामसभाओं द्वारा अपना लिये जाने के उन्हें लौटी की किगन्विति के लिए निम्न कार्यक्रम यन जाना चाहिए।

हर १ संस्था अपने अन्तर्गत कुल ग्रामों में ऐसे—

प्रथम वर्ष में

५ प्रतिशत गाँवों में,

द्वितीय वर्ष में

१० प्रतिशत गाँवों में,

• तृतीय वर्ष में

१० प्रतिशत गाँवों में

ग्रामसभा यना दे और उन्हें अपना काम सौंप दे। ग्रामसभा काम को रखीकार करती है, इसके साथ-सम्बन्ध उनाँ अपने ग्राम के उत्पादन का अनुकूल प्रतिशत अपने यहाँ ग्रामों वा भी ग्राम रेस्टर्ना होगा।

(४) यह भी यांचनीय गमना गमा वि ग्रामगभा तथा खादी-

उत्पादों द्वारा अपने कार्यक्रम के गायनाप्य इष्टि, गोपालन तथा ग्रामोदयों वा गम्भुरा कार्यक्रम यनाया जाना भी उपयोगी होगा। ग्रामोदयों में रेता-उद्योग, एमोदयों, सेल्पानी, गृह खाद्यगारी उद्योग भी ग्राम वा गम्भुरा में जा गर्ना है। चूना-उद्योग गदा इंट-उद्योग भी बही-बही गम्भुरा हो गाये जा गर्ने हैं, ग्रामों में घटनेवाले दृश्यगिरी व सोहारगिरी वे उद्योग भी गम्भीरन द्वारा

द्वीकृत सरजाम वार्यालयके अन्तर्गत ले लिया जाना चाहिए, साविप्राम की जहरत की पूर्ति हो सते ।

(५) (न) उपसमिति की यह भी सिफारिश है कि भविष्य में पारम्परिक चरखे के स्थान पर अम्बर-चरखे पर ज्यादा जोर दिया जाय । जहाँ पारम्परिक चरखा देना भी हो वहाँ भी १ तकुआ २ तकुआ का अम्बर चरखा ही दिया जाय । उससे उत्पादन बढ़ने की वजह से नत्तिन वी आमदनी बढ़ेगी तथा सूत की मजबूती की वजह से बुनाई में सुविधा होगी व वपटे का प्रोत सुधरेगा । इससे खादी की कीमत कम करने में सहायता होगी ।

(ष) भविष्य में घादी-सस्ताएं सुधरे औजार ही देंगी—चाहे चरखा देना हो चाहे करपा । पुराने अविकसित अनुप्राप्त औजार बिलकुल नहीं दिये जायेंगे, ताकि उत्पादन की धरमता व गुणवत्ता में सुधार हो ।

(ग) अम्बर चरखे पर आज दिया जानेवाला रिक्वेट नाकामी है, वह बड़ाया जाना चाहिए ।

(घ) अम्बर चरखे की कताई के लिए अभी तक कठिनी को पहुँच दिये जाते रहे हैं । समिति की सिफारिश रही कि भविष्य में उन्हें टेप ही दिया जाय और प्रयत्न किया जाय कि कताई भी विभक्त प्रक्रियाओं द्वारा हो । टेप देने से एक प्रतिशय की वज्र होगी । विभक्त कताई होने से कताई की मजबूरी बढ़ जायगी ।

(इ) अम्बर चरखो का और विस्तार किया जाय । इस प्रकार अम्बर सथा पारम्परिक सूत का पूर्लिंग किया जाना चाहिए । दोनों का पूर्लिंग बर देने से सूत की कीमत कम हो जायगी ।

अम्बर व पारम्परिक सूत का अनुपात कमश ५०-५० बा हो जाय । यह अनुपात अधिक-से-अधिक ३ साल में कर लिया जाय । जहाँ अन्वर-कार्यशाला पूरा चल रहा है वहाँ पर भी १० प्रतिशत अम्बर हर साल बदल बदले रहता चाहिए ।

(च) इस समय स्थाओं द्वारा काम चलने के कारण उत्पादन पर व्यवस्था-घर्च बहुत बढ़ जाता है। यह व्यवस्था-खर्च कम-से-कम हो यह आवश्यक है। उपसमिति की राय रही कि यदि ग्रामसभा अपने ग्राम में से किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस काम का शिक्षण देकर उसकी माफ़िन काम करवाये तो व्यवस्था-खर्च में काफी कमी हो जायगी और इस प्रकार ग्राम को अपने उत्पादन पर ज्यादा व्यवस्था-खर्च नहीं करना पड़ेगा।

(छ) रेडीमेड वस्त्रों की प्राप्ति का भी प्रबन्ध हो। दूसरे राज्यों की व उत्पादन-नेन्द्रों की यादी मुलभ करने वी व्यवस्था हो।

(ज) छपे पोस्टर आदि से मुफ्त बुनाई वी जानकारी अधिकाधिक गौवों में दी जाय।

(झ) हर स्थान पर स्थानीय बुनाई घड़ी की जाय। हर ग्लान में बम से-बम एवं बुनाई-नेन्द्र अवश्य हो। पहले वर्ष में ही सूत का १० प्रतिशत स्थानीय व्यवस्था से बुना जाय।

(अ) बुनाई-नेन्द्रों का विस्तार हो इसके लिए आवश्यक है कि बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाय व नये-नये बुनकरों के पुनर्वासि का भी प्रबन्ध विया जाय। कई जगह नये बुनकर बुनाई का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों दो अपने मावान में यहाँ आदि लगाने के लिए जो मरम्मत आदि करनी पड़ती है उसे भी पुनर्वासि ही मानता चाहिए और उगमे लिए पुनर्वासि की सहायता दी जाय।

(ट) स्थानीय घरपाले के लिए बदलौन विया जाना आवश्यक है और बदलौन में बुनाई छूट पूरी-नूरी मिलनी चाहिए तथा व्यवस्था-घर्च भी पूरा ही मिलना चाहिए। इस गमय मावान बुनाई से अतिरिक्त बुनाई पार्ट दो देनी होती है तथा व्यवस्था-घर्च भी पूरा देना होता है। इस बारें बदलौन की यादी मर्हेंगी हो जानी है।

(१) आवश्यक हर राज्य में यादी के माध्यम से एक जैसे ही

बनाये जाते हैं। जिन गाँवों में स्थानीय खपत के लिए खादी बुनाई हो वहाँ का भावपत्रक वहाँ की स्थिति के अनुसार बनाया जा सकेगा। वहाँ के लिए सारे 'जोन' का भावपत्रक एक जैसा हो यह बन्धन नहीं होगा।

(७) खादी काम का चरावर विस्तार हो रहा है। इस विस्तार में यह ध्यान रखना होगा कि ६ अप्रैल, १९६६ के बाद नये पारम्परिक चरखे न बढ़ाये जायें। यह केवल व्यापारिक खादी उत्पादन के लिए ही है। स्वावलम्बन के लिए पारम्परिक चरखा छलाया जा सकता है। एक विचार यह भी या कि इस प्रकार के पारम्परिक चरखे पर रिवेट देना ही बन्द कर दिया जाय। स्वावलम्बन के साथ-साथ कमीशन द्वारा प्रतिपादित 'बीकर-सेक्शन' व 'हिलबाईर एरिया' में पारम्परिक चरखे पर यह रोक नहीं होगी।

(८) यह भी घाढ़नीय समझा गया कि बड़ी सस्थाओं का विकेन्ड्रीकरण हो। इस समय कई स्थानों पर छोटी सस्थाएँ भी बन रही हैं। सामान्यत छोटी सस्था का कार्यक्षेत्र एक ब्लाक लिया जाना चाहिए।

सारी चर्चा करके यह भी सोचा गया कि अब २५ हजार गरौवोंमें सधन विकास का कार्यक्रम अपनाया गया है। इस कार्यक्रम को ऊपर लिखे तरीके से ही यानी ग्रामसभा के माध्यम से ही छलाया जाय। पुराना तरीका इन गाँवों के विकास के लिए बिलकुल न अपनाया जाय। ●

परिशिष्ट : २ (अ)

ग्रामदान का सामूहिक घोषणा-पत्र

हम जिला	अचल (या विकास घण्ड)
याना (तहसील)	पचायत	प्राप्त ..
वे निवासी सत विनोदाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य वे विचार को अच्छी तरह से समझ-दूजबार अपने गाँव के लिए ग्रामदान करते हैं और इग उद्देश्य वे निमित्त —		

१ हम अपनी वृद्धि-योग्य भूमि को बाम-भेजम पाँच पीसादी अर्पात् शीसवा हिस्सा भूमि अपने गाँव के भूमिहीन भाइयों के लिए देने हैं। भूमि-हीनों को भूदान द्वारा इमरे पूर्व बाईं हुई जमीन इमरे शामिल कर ली जायगी।

का तीसवाँ हिस्सा जहाँ स्पष्ट न हो वहाँ ग्रामसभा वह हिस्सा तय करेगी, जैसे—व्यापार की आय, व्यापार की कुल आमदनी नहीं बल्कि आमदनी का वह भाग माना जायगा जो मालिव दे हिस्से में रहता हो) अथवा आगे जो भी ग्रामसभा तय करे, नकद या श्रम के रूप में ग्रामसभा को देंगे।

इस प्रकार जो पूँजी बनेगी उससे गाँव की भलाई और विवास का कोई भी वार्ष जो ग्रामसभा समय-समय पर तय करे, किया जा सकेगा। इस प्रकार के सारे कामों में सदैव उन लोगों की भलाई को पहले व्यान में रखा जायगा जो उपादा जरूरतमन्द या असहाय हो।

४ गाँव के प्रत्येक वयस्क को सम्मिलित कर हम ग्रामसभा का गठन करेंगे। वह ग्रामसभा ग्राम-भाता की तरह गाँव में सब लोगों की देखभाल करेगी। ग्रामसभा का सचालन सर्वसम्मति अथवा सर्वनिमति से होगा।

विशेष सूचना ग्रामदान की घोषणा निम्न शर्तों पूरी होने पर ही की जा सकती है—

१ गाँव में रहनेवाले भूमिवानों में ७५ प्रतिशत भूमिवानों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हो।

२ गाँव में रहनेवाले भूमिवानों की गाँवों में जो जमीन हो उसमें से कम-से-कम ५१ प्रतिशत भूमि ग्रामदान में शामिल हुई हो।

३ गाँव में रहनेवाले कुल वालिगां में से ७५ प्रतिशत ग्रामदान में शामिल हुए हो।

कार्य

कम-संख्या	पूरा नाम	जमीन का रखबा (अन्दाज से)	धन्धा	हस्ताक्षर

गाँव की जानकारी

- १ गाँव में रहनेवाले भूमिवानों की जोत की गाँव में कुल भूमि (अन्दाजन)
- २ गाँव में रहनेवाले जमीन के मालिकों की संख्या
- ३ गाँव में रहनेवाले वालिगों की संख्या
- ४ ग्रामदान में शामिल जमीन का रकवा
- ५ ग्रामदान में शामिल जमीन के मालिकों की संख्या
- ६ ग्रामदान में शामिल अन्य वालिगों की संख्या
- ७ घोषणा-पत्र भरानेवाले टोली-नायक का नाम व पता
- ८ ग्रामदान की घोषणा की तिथि ।

परिशिष्ट : २ (आ)

ग्रामदान का व्यक्तिगत समर्पण-पत्र

मैं जिला-	अचल (विकास खड़)	
थाना (तहसील)	पचायत	ग्राम
का निवासी सत विनोबाजी द्वारा प्रवर्तित ग्राम-स्वराज्य का विचार अच्छी तरह समझ-बूझकर	ग्राम की मेरे खाते की कुल जमीन की मालकियत ग्राम-सभा को समर्पित करता हूँ।	

१ मैं अपनी कृषि-योग्य भूमि का कमसे-कम पाँच फीसदी अर्थात्
बीसवाँ हिस्सा भूमि अपने भूमिहीन भाइयो के लिए देता हूँ।

२ भूमिहीनों के लिए (कम-से-कम पाँच फीसदी) भूमि निवाल दने
के बाद जो जमीन हमारे पास रहेगी उसे काश्त करने का हक हमें रहेगा,
तथा हमारे उत्तराधिकारियों को रहेगा। ग्रामसभा की अनुमति से हम
इस जमीन को सरकार तथा सहकारी समिति को कर्ज के लिए रेहन रख
सकेंगे, अयवा ग्रामसभा को या ग्रामदान में शामिल विसी सदस्य परिवार
को बेच सकेंगे।

३ इस जमीन का घोरा नीचे दिया है		
गौव का नाम	जमीन का नम्बर	रकवा

४ यह जमीन रेहन नहीं है / यह जमीन रेहन है। रेहन का
घोरा नीचे दिया गया है
किसके पास रेहन है
सूद की दर

वितने रपये के लिए रेहन है	
वितना रपया चुकाना शेष है .. .	

५ मेरे ऊपर रेहन के सिवाय सरकार का और अन्य व्यक्तियों का
कर्ज़ा नहीं है/है।

इसका व्योरा नीचे दिया है

कर्ज़ देनेवाले का नाम

कर्ज़ की रकम

सूद की दर

कितना रुपया चुकाना शोप है

दस्तखत

गवाह वा नाम

१ (हस्ताक्षर)

२

नोट यदि जमीन की मालकियत का खाता सम्मिलित हो तो सभी खाते
दारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।



परिशिष्ट : ३

ग्रामदान-गोष्ठी में भाग लेनेवालों की सूची

उत्तर प्रदेश

- १ श्री कपिलभाई
- २ श्री सुन्दरलाल बहुगुणा
- ३ श्री रामवृक्ष शास्त्री
- ४ श्री लोकेन्द्रभाई
- ५ श्री देवतादीनभाई
- ६ श्री नन्दलालभाई
- ७ सुधी कान्तिवाला

बिहार

- ८ श्री निमंलचन्द्र
- ९ श्री रामथेष्ठ राम

असम

- १० श्री रवीन्द्रनाथ उपाध्याय
- ११ श्री माणिकचन्द्र शाइविया
- १२ श्री चूसीभाई चैद्य
- १३ श्री तिरु बडा

उड़ीसा

- १४ श्री मनमाहत चौधरी

आनन्दप्रदेश

- १५ श्री वेकट रामाराय

मद्रास

- १६ श्री एस० जगत्तायन्
- १७ श्री बी० रामचन्द्रन्
- १८ श्री के० एम० नट्टराजन्
- १९ श्री आर० वरदन्

महाराष्ट्र

- २० श्री रा० कृ० पाटिल
- २१ श्री ठाकुरदास बग
- २२ श्री गो० रा० देशपाणे
- २३ श्री मुरलीधर घाटे
- २४ श्री नन्दलाल यादवा
- २५ श्री प्र० गा० शेदुर्णीवर

गुजरात

- २६ श्री हरिहरलाल परीय
- २७ श्री फरसनदास पाठाणी
- २८ श्री ढारवादास जोशी
- २९ श्री ढा० जे० आर० दोपी

राजस्थान

- ३० श्री सिद्धराज ढड्डा
(गोष्ठी वे अध्यक्ष)
- ३१ श्री पूर्णचंद्र जैन
- ३२ श्री छीतरसल गोप्ता

ग्रामदान-गोष्ठी में भाग लेनेवालों की सूची

१२

११

मध्यप्रदेश

- ३३ सुश्री निर्मल वेद
- ३४ सुश्री निर्मला देशपाण्डे
- ३५ श्री महेद्रकुमार
- ३६ श्री नरेन्द्र दूबे

पंजाब

- ३७ श्री दयानिधि पटनायक
सर्व सेवा सघ, वाराणसी
- ३८ श्री जयप्रकाश नारायण
- ३९ श्री धीरेन्द्र मंगूमदार
- ४० श्री दादा धर्माधिकारी

४१ श्री राधाकृष्ण

४२ श्री राममूर्ति

४३ श्री नारायण देसाई

४४ श्री कृष्णराज मेहता

४५ श्री प्रेमभाई

४६ श्री कृष्णकुमार

४७ श्री रामचन्द्र राही

गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी

४८ श्री सुगतदास गुप्ता

४९ श्री बी० बी० चट्टर्जी

५० श्री एस० एस० अम्बर

ग्रामदान-साहित्य

गैरहजीवी गौव इजराइल का एक प्रयोग	युगुप वरात्ज	३ ००
मेरा गौव	बबलभाई महेता	२ ५०
गौव जाग उठा	(चित्रावली)	२ ००
बोरापुट में ग्राम विकास का प्रयोग	अण्णा सहस्रबुद्धे	२ ००
हनिलनाड खे ग्रामदान	वसन्त व्यास	२ ००
बोरापुट में ग्रामदान	"	२ ००
ग्रामदान निर्दिशिता	त्रिपोटं "	२ ००
धरती के गीत	दुष्टायल	१ ५०
सबादय-संयोजन		१ ००
आध के ग्रामदान	वसन्त व्यास	१ ००
मध्यप्रदेश का ग्रामदान मोहनरी	"	१ ००
ग्रामदान दाका और समाधान	धीरेंद्र मंजूमदार	१ ००
धरतीमाता की गोद में	नारायण देसाई	० ७५
सर्वोदय विचार	"	० ७५
अकिली वी कहानी	यदुनाथ घर्ते	० ६०
ग्राम-स्वराज्य	ठाकुरदास बग	० ५६
ग्रामराज क्या ?	प्रो० गोरा	० ३७
अपना गौव	ठाकुरदास बग	० ३७
अपना राज्य	"	० ३०
सामहिक प्रार्थना	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	० ३०
खादी कार्यकर्ता और ग्रामदान	अप्पासाहब पटवधंन	० २५
गौव का गोकुल	ठाकुरदास बग	० २५
नगर-स्वराज्य	शक्करराव देव	० २५
लोक राज्य		

ग्राम-स्वराज्य माला

ग्रामदान मागदीशका (भाग १)	मनमोहन चौधरी	० ५०
ग्राम-स्वराज्य का त्रिविधि कायकम		० ५०
गौव गौव में अपना राज		० ५०
ग्रामदान क्या है ?		० ३५
शांति सेना क्या है ?		० ३५
गौव की खादी		० २५

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजधानी, वाराणसी